

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2012—पौष 23, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

क्र. ई-5-606-आयएएस.-लीव-एक-5.—(1) श्री पंकज अग्रवाल, आयएएस., आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री पंकज अग्रवाल की अवकाश की अवधि में श्री अमित राठौर, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन तथा पदेन संचालक, बजट को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पंकज अग्रवाल द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर, आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री पंकज अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-564-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएस., आयुक्त सह संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2011 से 2 जनवरी 2012 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती वीरा राणा, आयएस., की अवकाश अवधि में श्रीमती शिखा दुबे, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त सह संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा, आयएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त सह संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती वीरा राणा द्वारा आयुक्त सह संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिखा दुबे, आयएस. आयुक्त सह संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने पर पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-525-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आर. के. चतुर्वेदी आयएस., प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री आर. के. चतुर्वेदी की अवकाश की अवधि में श्री आर. के. स्वाई, आयएस., राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व, पुनर्वास, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख राजस्व आयुक्त, म. प्र. भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. के. चतुर्वेदी द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. के. स्वाई, प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. चतुर्वेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चतुर्वेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-736-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अरूण कुमार भट्ट, आयएस., आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 27 दिसम्बर 2011 से 2 जनवरी 2012 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अरूण कुमार भट्ट की अवकाश की अवधि में श्री राजीव रंजन, भाप्रसे., आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आबकारी आयुक्त म. प्र. ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार भट्ट को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अरूण कुमार भट्ट द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव रंजन, आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार भट्ट को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011

क्र. ई-5-702-आयएएस.-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रदीप खरे, आयएएस., कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 19 से 22 दिसम्बर 2011 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री प्रदीप खरे की अवकाश की अवधि में श्री टी. धर्मारव, आयएएस., कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री टी. धर्मारव, कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे

(5) अवकाश काल में श्री प्रदीप खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2011

क्र. ई-5-536-आयएएस.-लीव-5-एक.—(1) डॉ. एम. मोहनराव, आयएएस., विकअ-सह-आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2012 तक इकतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. मोहनराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. एम. मोहनराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. मोहनराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-409-आयएएस.-लीव-एक-5.—(1) श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल को अर्जित अवकाश निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 19 दिसम्बर 2011 का एक दिन (अर्जित अवकाश कार्योत्तर).
2. दिनांक 24 से 26 दिसम्बर 2011 तक तीन दिन (अर्जित अवकाश).

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-674-आयएएस.-लीव-एक-5.—(1) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 24 से 31 दिसम्बर 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एस. के. मिश्रा की अवकाश की अवधि में श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, विमानन, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. के. मिश्रा द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर

श्री दीपक खाण्डेकर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्र. ई-5-671-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 25 दिसम्बर 2011 से 2 जनवरी 2012 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती दीपाली रस्तोगी की अवकाश की अवधि में श्री चन्द्रहास दुबे, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, राज्य नागरिक, आपूर्ति निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्रहास दुबे, आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रस्तोगी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-645-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस., अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत्

वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 24 दिसम्बर 2011 से 2 जनवरी 2012 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

क्र. ई-5-463-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आर. के. स्वाई, आयएएस., तत्का. राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2011 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री आर. के. स्वाई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. स्वाई, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

क्र. ई-1-433-2011-5-एक.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25 दिसम्बर 2011 के पद 8, जिसके द्वारा श्री आशीष उपाध्याय, भाप्रसे (1989), संचालक, आदिम जाति अनुसंधान संस्थान तथा आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं को केवल आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के कार्यभार से मुक्त करते हुए उन्हें आयुक्त, आदिवासी विकास का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। इसके अनुक्रम में अब श्री आशीष उपाध्याय की मूल पदस्थापना आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं के पद पर रहेगी।

(2) राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-2 में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2011

क्र. ई-1-443-2011-5-एक.—श्री अशोक कुमार शाह, भाप्रसे (1990), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण तथा संचालक, संस्थागत वित्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

क्र. ई-5-887-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिजीत अग्रवाल, आयएस., सहायक कलेक्टर, (परिवीक्षाधीन) जिला सिवनी को दिनांक 16 जनवरी से 3 फरवरी 2012 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, (परिवीक्षाधीन) जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-562-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, आयएस., आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 2 से 7 जनवरी 2012 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री जे. एन. कांसोटिया की अवकाश अवधि में श्री अश्विनी कुमार राय, आयएस., नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं संचालक, एड्स को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जे. एन. कांसोटिया द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अश्विनी कुमार राय, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-536-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. एम. मोहनराव, आयएस., विकअ-सह-आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2011 से 28 जनवरी 2012 तक इकतीस दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 29 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है।

(2) डॉ. एम. मोहनराव की अवकाश अवधि में श्री के. सी. गुप्ता, आयएस., आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ विकअ-सह-आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 दिसम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-416-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सुरेश, आयएस., तत्कालीन सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अविन वैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्र. ई-5-372-आयएस-लीव-एक-5.—डॉ. पुखराज मारू, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2011 द्वारा दिनांक 2 से 5 जनवरी 2012 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-845-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री के. सी. जैन, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 7 सितम्बर से 4 अक्टूबर 2011 तक अट्टाईस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

क्र. ई-5-674-आयएस-लीव-एक-5.—श्री एस. के. मिश्रा, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 दिसम्बर 2011 के द्वारा दिनांक 24 से 31 दिसम्बर 2011 तक आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव 'कार्मिक'.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-22-14-2011-एक-10.—श्री रमेश शर्मा, (भा.पु.से.), महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2011 एवं 26 दिसम्बर 2011 से 31 दिसम्बर 2011 तक सात दिवस का आकस्मिक अवकाश दिनांक 25 दिसम्बर 2011 के शासकीय अवकाश के साथ मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा हेतु पुणे (महाराष्ट्र) के लिये अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. उक्त अवकाश अवधि में श्री रमेश शर्मा, भारतीय पुलिस सेवा, महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,

भोपाल का कार्य श्री अजय शर्मा, महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

2. अवकाश से लौटने पर श्री रमेश शर्मा, भारतीय पुलिस सेवा, महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।
3. श्री रमेश शर्मा, भारतीय पुलिस सेवा, महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।
4. अवकाशकाल में श्री रमेश शर्मा, भारतीय पुलिस सेवा, महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।
5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश शर्मा, भारतीय पुलिस सेवा, महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. एफ-1बी-5-2010-चौदह-1(पार्ट).—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (अल्पकीय वर्गीय) भर्ती नियम, 2008 में कृषि विभाग के सर्वेक्षक (सर्वेयर) का पदनाम परिवर्तित कर "भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी" करने का निर्णय लिया गया है. अतः वर्तमान में सर्वेक्षक (सर्वेयर) के स्थान पर निम्नानुसार पदनाम परिवर्तित किया जाता है:—

वर्तमान पदनाम

परिवर्तित पदनाम

(1)

(2)

सर्वेक्षक (सर्वेयर)

भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी

(2) उपरोक्त पदनाम परिवर्तन के बाद इनका वेतनमान पूर्ववत् रहेगा।

(3) उपरोक्त संबंधित भर्ती नियमों में पदनाम संशोधित करने की कार्यवाही की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्दु मोहिले, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

(1) (2) (3)

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

क्र. एफ-3-85-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख तथा न्यायिक विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2011 को प्रश्नपत्र तृतीय-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. परीक्षार्थी का नाम पदनाम
(1) (2) (3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री मोतीलाल पंथी	राजस्व निरीक्षक
2	श्री मनोहर कुलहारे	राजस्व निरीक्षक
3	श्री शैलेन्द्र सिंह (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
4	श्री बृजेश सक्सेना	डिप्टी कलेक्टर
5	श्री श्रंगार श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर
6	कुमारी तन्वी सुन्द्रियाल (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
7	श्री अभिजीत अग्रवाल	सहायक कलेक्टर
8	श्री अनुराग चौधरी (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
9	श्री अनय द्विवेदी	सहायक कलेक्टर
10	श्री गणेश शंकर मिश्रा (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
11	श्री भास्कर लाक्षाकार	सहायक कलेक्टर
12	श्रीमती शिल्पा	सहायक कलेक्टर
13	श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह	सहायक कलेक्टर
14	श्री अजय गुप्ता	सहायक कलेक्टर
15	श्री इलैयराजा टी.	सहायक कलेक्टर
16	श्री भैयालाल भील	राजस्व निरीक्षक
जबलपुर संभाग		
17	श्री हेमन्त कुमार अवधिया	राजस्व निरीक्षक

1	कुमारी रितु चौहान	उप जिलाध्यक्ष
2	श्री राजेश राठौर	डिप्टी कलेक्टर
3	कुमारी तृप्ति श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर
4	श्री श्यामेन्द्र जयसवाल	डिप्टी कलेक्टर
5	कुमारी टीना यादव	डिप्टी कलेक्टर
6	श्री दिपक कुमार वैद्य	डिप्टी कलेक्टर
7	श्री आशीष सिंह	सहायक कलेक्टर
8	श्री तरूण राठी	सहायक कलेक्टर
9	श्री राकेश पिप्पल	राजस्व निरीक्षक
10	श्री धनीराम गनपत अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
11	श्री अंकुर मेश्राम	डिप्टी कलेक्टर
12	श्री ओमप्रकाश सनोडियां	डिप्टी कलेक्टर
13	श्री दर्शन लाल नेगी	राजस्व निरीक्षक
14	श्री प्रहलाद सिंह मीना	राजस्व निरीक्षक
15	श्री राधेश्याम राठौर	राजस्व निरीक्षक
16	श्री श्याम सिंह तारे	राजस्व निरीक्षक
17	श्री कृष्ण कुमार बालापुणे	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

18	श्री लाल सिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
19	श्री मनोज दिवाकर	राजस्व निरीक्षक
20	श्री शिरोमन सिंह	राजस्व निरीक्षक
21	श्री विनोद कुमार चौरसिया	राजस्व निरीक्षक
22	श्री अनिल कुमार स्वर्णकार	राजस्व निरीक्षक
23	श्री दृगपाल सिंह बैस	राजस्व निरीक्षक
24	श्रीमती सुनीता देहलवार	राजस्व निरीक्षक
25	श्री दयाराम मिश्र	सहा. अधी. भू-अभिलेख
26	श्रीमती मनीषा मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
27	श्री राकेश कुमार इमले	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
28	श्रीमती सरिता भदौरिया	राजस्व निरीक्षक	जबलपुर संभाग		
29	श्रीमती हेमा राजपूत	राजस्व निरीक्षक	60	श्री सुन्दरलाल दुबे	राजस्व निरीक्षक
30	श्री जगदीश प्रसाद घांगोरिया	राजस्व निरीक्षक	61	श्री कुंजबिहारी रघुवंशी	सहा. अधी. भू-अभिलेख
31	श्री राजेश शर्मा	राजस्व निरीक्षक	62	श्री रामकैलाश कौल	राजस्व निरीक्षक
32	श्री चन्द्रपाल सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक	63	श्री फुलेल कुमार रावत	राजस्व निरीक्षक
33	श्री महेन्द्र सिंह यादव	राजस्व निरीक्षक	64	श्री खगेश कुमार भलावी	राजस्व निरीक्षक
34	श्री शिवदयाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक	65	श्री झामसिंह इरकिरा	राजस्व निरीक्षक
35	श्री प्रदीप नारायण सिंह सिकरवार	राजस्व निरीक्षक	66	श्री दामोदर प्रसाद दुबे	राजस्व निरीक्षक
36	श्री रामनिवास शर्मा	राजस्व निरीक्षक	67	श्री भागचन्द सनोडिया	नायब तहसीलदार
37	श्री चन्द्रमोहन शर्मा	राजस्व निरीक्षक	68	श्री राजेश कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
38	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक	69	श्री भरत सिंह राय	राजस्व निरीक्षक
39	श्री अशोक सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक	70	श्री हर्षवर्धन रामटेके	राजस्व निरीक्षक
40	श्री प्रमोद सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक	71	श्री नारदसिंह पन्डे	राजस्व निरीक्षक
41	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	72	श्री भागसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
42	श्री मुन्ना लाल गौड़	राजस्व निरीक्षक	73	श्री रमेश प्रसाद साहू	राजस्व निरीक्षक
43	श्री संजीव कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक	74	श्री अजय श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
44	श्री राकेश कुमार ठोडी	राजस्व निरीक्षक	75	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
45	श्रीमती नीरज मिश्रा	राजस्व निरीक्षक	76	श्री उमेशसिंह कुशवाहा	राजस्व निरीक्षक
46	श्री इलखुराम भगत	अधीक्षक	77	श्री चन्द्रभान सिंह परस्ते	राजस्व निरीक्षक
47	श्री राकेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक	78	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
48	श्री रामप्रसाद बरेलिया	राजस्व निरीक्षक	79	श्री रतनशाह उइके	राजस्व निरीक्षक
इन्दौर संभाग			उज्जैन संभाग		
49	श्री मुंशीराम कुमरे	राजस्व निरीक्षक	80	श्री गोवर्धन लाल राजौरिया	राजस्व निरीक्षक
50	श्री उदयवीर सिंह भावर	राजस्व निरीक्षक	81	श्री रतनलाल डामोर	राजस्व निरीक्षक
51	श्री प्रकाश चंद शर्मा	राजस्व निरीक्षक	82	श्री जगदीश कुमार शर्मा	सहा. अधी. भू-अभिलेख
52	श्री गजराज सिंह सोलंकी	राजस्व निरीक्षक	शहडोल संभाग		
53	श्री मदन लाल टंगारे	राजस्व निरीक्षक	83	श्री छत्रपाल सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
54	श्री रामलाल खेड़ेकर	राजस्व निरीक्षक	84	श्री दिनेश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
55	सूफिया फारूकी	सहायक कलेक्टर	85	श्री कन्हैयालाल तेकाम	राजस्व निरीक्षक
56	श्री श्रीकांत बनोथ	सहायक कलेक्टर	86	श्री मंगलदास चक्रवर्ती	राजस्व निरीक्षक
57	श्री भगवान सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	87	श्री श्यामलाल मोंगरे	राजस्व निरीक्षक
सागर संभाग			88	श्री मानसिंह आर्मी	राजस्व निरीक्षक
58	श्री रज्जन सिंह	राजस्व निरीक्षक	89	श्री ललित कुमार धावे	राजस्व निरीक्षक
59	कुमारी प्रीति मैथली	सहायक कलेक्टर	90	श्री वैशाखूराम प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
			होशंगाबाद संभाग		
			91	श्री कर्मवीर शर्मा	सहायक कलेक्टर

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

(1)

(2)

(3)

क्र. एफ-3-86-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र प्रथम-दाण्डक, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

जबलपुर संभाग

1	श्री पुष्पेन्द्र पाण्डेय (सश्रेय)	राजस्व निरीक्षक
2	श्री भरत सिंह राय	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

3	श्रीमती मनीषा मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
---	----------------------	-----------------

सागर संभाग

4	श्री रमेश कुमार सिंह	डिप्टी कलेक्टर
---	----------------------	----------------

इन्दौर संभाग

5	श्री सकरिया भिड़े	सहा. अधी. भू-अभिलेख
---	-------------------	------------------------

भोपाल संभाग

6	श्री आशीष सिंह (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
7	श्री अनय द्विवेदी (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
8	श्री कर्मवीर शर्मा (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
9	श्री तरूण राठी (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
10	श्री गणेश शंकर मिश्रा (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
11	श्री अभिजीत अग्रवाल (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
12	श्री अनुराग चौधरी (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
13	कुमारी रितु चौहान (सश्रेय)	उप जिलाध्यक्ष
14	श्री दीपक कुमार वैद्य	डिप्टी कलेक्टर
15	श्री भास्कर लाक्षाकार	सहायक कलेक्टर
16	सुश्री टीना यादव (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
17	सुश्री तृप्ति श्रीवास्तव (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
18	श्री शैलेन्द्र सिंह	डिप्टी कलेक्टर
19	श्री श्यामेन्द्र जायसवाल (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर

20	श्री अंकुर मेश्राम (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
21	श्री ओमप्रकाश सनोडिया (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
22	श्री राजेश राठौड़(सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
23	श्री ब्रजेश सक्सेना (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
24	श्री श्रृंगार श्रीवास्तव (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
25	श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
26	श्री महीप किशोर तेजस्वी (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर

उज्जैन संभाग

27	श्री अनुपमा निनामा	डिप्टी कलेक्टर
----	--------------------	----------------

निम्नस्तर

जबलपुर संभाग

1	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
2	श्री सुन्दरलाल दुबे	राजस्व निरीक्षक
3	श्री धर्मेन्द्र साहू	राजस्व निरीक्षक
4	श्री रामकैलाश कौल	राजस्व निरीक्षक
5	श्री फुलेल कुमार रावत	राजस्व निरीक्षक
6	श्री बृजबिहारी दुबे	राजस्व निरीक्षक
7	श्री प्रेमनारायण सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
8	श्री भागचन्द सनोडिया	नायब तहसीलदार
9	श्री हेमन्त कुमार अवधियां	राजस्व निरीक्षक
10	श्री राजेन्द्र प्रसाद सेन	राजस्व निरीक्षक
11	श्री अमृतलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
12	श्री रमेश प्रसाद साहू	राजस्व निरीक्षक
13	श्री अजय श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
14	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
15	श्री सुन्दरलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
16	श्री नारायण प्रसाद कुशराम	राजस्व निरीक्षक
17	श्री राजूलाल नामदेव	राजस्व निरीक्षक
18	श्री प्रेमचंद मर्सकोले	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

19	श्री शिवसिंह कोरकू	राजस्व निरीक्षक
20	श्री लज्जाराम राजौरिया	राजस्व निरीक्षक
21	श्री मुन्नालाल गौड़	राजस्व निरीक्षक

सागर संभाग

22	श्री अशोक कुमार मौर्य	नायब तहसीलदार
----	-----------------------	---------------

(1)	(2)
इन्दौर संभाग	
23 श्री मुंशीराम कुमरे	राजस्व निरीक्षक
24 श्री बंसत कुमार बरखानियां	राजस्व निरीक्षक
25 श्री रविन्द्र कुमार डाबर	राजस्व निरीक्षक
26 श्री रजान सस्तियां	राजस्व निरीक्षक
27 श्री छगनलाल नागराज	राजस्व निरीक्षक
28 श्री उदयवीर सिंह भावर	राजस्व निरीक्षक
29 श्री कुवरसिंह चौहान	सहा.अधी.भू-अभिलेख
30 श्री प्रकाश चंद शर्मा	राजस्व निरीक्षक
31 श्री कन्छेदी लाल जैन	राजस्व निरीक्षक
32 श्री राजेश सरवटे	राजस्व निरीक्षक
33 श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक
34 श्री कमलेश पाराशर	राजस्व निरीक्षक

भोपाल संभाग

35 श्री राजेश कुमार धाड़से	राजस्व निरीक्षक
36 श्री लटूरीलाल करोरिया	सहा.अधी.भू-अभिलेख
37 श्री राकेश पिप्पल	राजस्व निरीक्षक
38 श्री राजेशराम	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

39 श्री मुनेश्वर प्रसाद विराट	राजस्व निरीक्षक
40 श्री कौशल सिंह	राजस्व निरीक्षक
41 श्री लालाराम सूर्यवंशी	राजस्व निरीक्षक
42 श्री मंगलदास चक्रवर्ती	राजस्व निरीक्षक

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-3-89-2011-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रश्नपत्र द्वितीय-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

जबलपुर संभाग

1 श्री प्रेमनारायण सिंह गौड़ (सश्रेय)	राजस्व निरीक्षक
2 श्री भरत सिंह राय	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)
3 श्री रमेश प्रसाद साहू	राजस्व निरीक्षक
4 श्री अजय श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

5 श्री विनोद कुमार चौरसिया	राजस्व निरीक्षक
6 श्रीमती सुनीता देहलवार	राजस्व निरीक्षक
7 श्रीमती मनीषा मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
8 श्री रामनिवास शर्मा	राजस्व निरीक्षक
9 श्री अशोक सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक
10 डॉ. योगेन्द्र बाबू शुक्ल	राजस्व निरीक्षक

भोपाल (संभाग)

11 श्री विवेक कुमार पाण्डेय (सश्रेय)	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग.
12 श्री एन .एस. सिद्दीकी	कार्यालय अधीक्षक
13 श्री शैलेन्द्र सिंह	डिप्टी कलेक्टर
14 कुमारी रितु चौहान (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
15 श्री राजेश राठौर (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
16 श्री ब्रजेश सक्सेना (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
17 श्री श्रृंगार श्रीवास्तव (सश्रेय)	डिप्टी कलेक्टर
18 कुमारी तृप्ति श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर
19 कुमारी टीना यादव	डिप्टी कलेक्टर
20 कुमारी तन्वी सुन्द्रियाल (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
21 श्री अभिजीत अग्रवाल (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
22 श्री अनुराग चौधरी(सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
23 श्री अनय द्विवेदी(सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
24 श्री गणेश शंकर मिश्रा (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
25 श्री आशीष सिंह (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
26 श्री भास्कर लाक्षाकार (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
27 श्री कर्मवीर शर्मा (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
28 श्री तरूण राठी (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
29 कुमारी शिल्पा (सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
30 श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह(सश्रेय)	सहायक कलेक्टर
31 श्री अंकुर मेश्राम	डिप्टी कलेक्टर

निम्नस्तर

शहडोल संभाग

1 श्री दिनेश कुमार पनिका	राजस्व निरीक्षक
2 श्री दिनेश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
3 श्री शिवशंकर मिश्र	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(1)	(2)
4	श्री कन्हैयालाल तेकाम	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
5	श्री मंगलदास चक्रवर्ती	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
6	श्री श्यामलाल मोंगरे	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
7	श्री राजकुमार टांडियां	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
8	श्री लालमणि प्रजापति	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
9	श्री बैशखूराम प्रजापति	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
जबलपुर संभाग			
10	श्री रविशंकर धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
11	श्री रामकैलाश कोल	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
12	श्री बृजबिहारी दुबे	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
13	श्री जयसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
14	श्री बी. के. सिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
15	श्री मनीराम आमो	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
16	श्री दामोदर प्रसाद दुबे	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
17	श्री भागचन्द्र सनोडियां	नायब तहसीलदार	राजस्व निरीक्षक
18	श्री दुलारे लाल परते	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
19	श्री हेमन्त कुमार अवधियां	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
20	श्री राजेन्द्र प्रसाद सेन	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
21	श्री उमेश सिंह कुशवाहा	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
22	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
23	श्री रतनशाह उइके	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
24	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
25	श्री भागसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
26	श्री नारायण प्रसाद कुशराम	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
इन्दौर संभाग			
27	श्री रमेश चन्द्र चौहान	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
28	श्री मुंशीराम कुमरे	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
29	श्री बसंत कुमार बरखानियां	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
30	श्री रविन्द्र कुमार डार	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
31	श्री रजान सस्तियां	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
32	श्री चन्द्रपाल पाल	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
33	श्री उदयवीर सिंह भांवर	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
34	श्री देवराम निहरता	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
35	श्री धुलियां पालियां	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
36	श्री मुन्ना लाल वास्कले	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
37	श्री रणजीत सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
38	श्री इगुसिंह गणावा	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
39	श्री. खूनीकुमार पंडोले	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
40	श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
41	श्री राजेश सरवटे	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
42	श्री भगवानदास तमखानियां	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
43	श्री आर. पी. सिटोके	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
44	श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
45	श्री कमलेश पाराशर	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
46	श्री सुनील कुमार बागुल	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
47	श्री संतोष पाटील	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
48	श्री सरदार सिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
49	श्रीमती मीना मण्डलोई	सहायक परियोजना प्रशासक.	राजस्व निरीक्षक
सागर संभाग			
50	श्री मनीराम गौड़	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
ग्वालियर संभाग			
51	श्री अनिल कुमार स्वर्णकार	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
52	श्री विश्राम शाक्य	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
53	श्री चन्द्रपाल सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
54	श्री महेन्द्र सिंह यादव	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
55	श्री प्रमोद सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
56	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
57	श्री संजीव कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
58	श्री इलखूराम भगत	कार्यालय अधीक्षक	राजस्व निरीक्षक
59	श्री धीरज सिंह परिहार	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
60	श्री शमशाद मोहम्मद खान	नायब तहसीलदार	राजस्व निरीक्षक
भोपाल संभाग			
61	श्री मोतीलाल पंथी	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
62	श्री श्यामेन्द्र जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर	राजस्व निरीक्षक
63	श्री दीपक कुमार वैद्य	डिप्टी कलेक्टर	राजस्व निरीक्षक
64	श्री धनीराम गनपत अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
65	श्री ओमप्रकाश सनोडिया	डिप्टी कलेक्टर	राजस्व निरीक्षक
66	श्री दर्शनलाल नेगी	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
67	श्री राजू लोखण्डे	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
उज्जैन संभाग			
68	श्री गोवर्धन लाल राजौरिया	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
69	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक
70	श्रीमती शकुन्तला डामोर	जिला संजोजक	राजस्व निरीक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपसचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. 8444-3833-2011-बारह-1.—खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 12 के उप नियम (एक बी) तथा नियम 26 के उप नियम (3) के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति संचालक भौमिक तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश द्वारा प्रयोक्तव्य होगी।

No. 8444-3833-2011-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government, hereby directs that the power exercisable by it under sub rule (IB) of Rule 12 of Mineral Concession Rule, 1960, shall also be exercisable by the Director, Geology and Mining, Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-13-14-11-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमि, विन्ध्यानगर, जिला सिंगरौली स्थित वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./3830 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 8 दिसम्बर 2011 से 7 जून 2012 तक छः माह के लिए छूट देता है:—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।

- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- (5) मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी, एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-13-13-11-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 1 की इकाई क्रमांक-1 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./3205 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 15 अक्टूबर 2011 से 14 जनवरी 2012 तक तीन माह के लिए छूट देता है:—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
- (4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- (5) मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद रफीक खान, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-3-128-बत्तीस-2010.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के क्रमांक 843-2001 जिला योजना समिति धार, दिनांक 26 मार्च 2001 द्वारा गठित पीथमपुर निवेश क्षेत्र की सीमा में संशोधन कर संशोधित सीमायें परिनिश्चित करता है, पूर्व में गठित पीथमपुर निवेश क्षेत्र में 46 ग्रामों के स्थान पर छः ग्रामों को सम्मिलित कर 52 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमायें अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की जाती है.

अनुसूची

पीथमपुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

1. उत्तर में : ग्राम मोकलाय, नरलाय, घड़ावरा, गलोडा, माचल, बेटमा खुर्द, बिजेपुर, बेटमा, मोथला, झलारिया तथा ताजखेड़ी की उत्तरी सीमा तक.
2. पश्चिम में : ग्राम सुलावड़, सांगवी, औसरोद एवं ताजखेड़ी की पश्चिमी सीमा तक.
3. दक्षिण में : ग्राम पिपल्या मल्हार, केवटी, टिही, माटखेड़ी, गोपालपुरा, बंजारी, मोडिया, अकोलिया, जामोदी, खेड़ा, सागोर, एवं सुलावड़ की दक्षिणी सीमा तक.
4. पूर्व में : ग्राम मोकलाय, देहरी, सोनवाय, पिपल्या मल्हार की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

फा. क्र. 3(ए)-5-2007-7624-इक्कीस-ब(एक)-संशोधित आदेश.—राज्य शासन द्वारा जारी इस विभाग के समसंख्यक आदेश फा. क्रमांक 3-(ए)-5-2007-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 23 मार्च 2007 में जहां कहीं भी शब्द "स्वैच्छिक" आये हैं, के स्थान पर "डीम्ड" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2012

फाईल. क्र. 1-अ-3-03-इक्कीस-ब (दो)-संशोधन आदेश.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 नवम्बर 2011 द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर, हेतु संशोधन आदेश में अनुक्रमांक-4 पर श्री प्रमोद मीठा शासकीय अधिवक्ता के स्थान पर श्री प्रमोद मीठा, उप शासकीय अधिवक्ता दर्शाया गया है.

अतः अब श्री प्रमोद मीठा के पदनाम, उप शासकीय अधिवक्ता के स्थान पर "शासकीय अधिवक्ता" इन्दौर पढ़ा जावे.

आदेश

फा. क्रमांक 17-ई-152-2004-इक्कीस-ब(दो).—दिनांक 30 जुलाई 2004 द्वारा श्री रामगोपाल श्रीवास्तव, अधिवक्ता, निवासी राजेन्द्र नगर, जिला सतना मध्यप्रदेश को जिला मुख्यालय, सतना में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण, जिला मुख्यालय, सतना मध्यप्रदेश में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है.

आदेश

फा. क्रमांक 17-ई-20-2007-इक्कीस-ब(दो).—दिनांक 21 फरवरी 2007 द्वारा श्री पुरुषोत्तम पाराशर, अधिवक्ता, निवासी-लसून का बगीचा, जिला गुना मध्यप्रदेश को जिला मुख्यालय गुना मध्यप्रदेश में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण, जिला मुख्यालय, गुना मध्यप्रदेश में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है.

आदेश

फा. क्रमांक 17-ई-182-2006-इक्कीस-ब(दो).—दिनांक 20 जुलाई 2006 द्वारा श्री गिरिजा प्रसाद चतुर्वेदी, अधिवक्ता, निवासी-मार्तण्ड, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश को तहसील ब्यौहारी में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

आदेश

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2012

फा. क्रमांक 3-सी-8-86-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्री रविन्द्र गुप्ता, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रु. 2500/- (रु. दो हजार पांच सौ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक, नियुक्त करता है।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याया. प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्रमांक 3-सी-8-86-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्री आलोक तपीकर, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रु. 2500/- (रु. दो हजार पांच सौ) केवल प्रतिमाह निश्चित वेतन पर उक्त पद पर एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक, नियुक्त करता है।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याया. प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वाणी, अतिरिक्त सचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 31-22-2011-सत्ताईस-1.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा-2 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम (5) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम (3) तथा (4) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है अर्थात् :-

स. क्र.	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्य का कमाण्ड क्षेत्र		
		ग्रामों की संख्या	विस्तार हेक्टेयर में	कृषक संगठनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शहपुरा वितरिका समिति पाटन शाखा नहर की आर. डी. 7.73 से निकली शहपुरा वितरण नहर प्रणाली.	35	3749	2
2	बेलखेड़ी वितरिका समिति पाटन शाखा नहर की आर. डी. 9.74 कि.मी. से निकली बेलखेड़ी वितरण कि.मी. 0.00 से 34.00 एवं इसकी मजीठा, ईश्वरखेड़ा, नटवारा, डोभी, महगंवा तथा भीटा माइनरों का संपूर्ण क्षेत्र.	51	6590	3
3	पिपरिया कला वितरिका समिति बेलखेड़ी वितरण नहर की आर. डी. 25.50 से निकली पिपरिया उप वितरण नहर एवं बेलखेड़ी टेल माइनर का संपूर्ण क्षेत्र.	30	7674	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	कुंवरपुर वितरिका समिति बेलखेड़ी वितरण नहर की आर. डी. 10.30 से निकली कुंवरपुर उप वितरण नहर का संपूर्ण क्षेत्र.	55	8517	4
5	पाटन वितरिका समिति पाटन शाखा नहर की आर. डी. 14.40 से निकली पाटन उपशाखा नहर का संपूर्ण क्षेत्र. (मोहनतारा वितरण नहर के क्षेत्र को छोड़कर)	37	5129	3
6	मोहनतारा वितरिका समिति पाटन शाखा नहर की आर. डी. 9.41 से निकली मोहनतारा वितरण नहर प्रणाली का संपूर्ण क्षेत्र.	19	4060	2
7	हसुआ वितरिका समिति खजूरी वितरण नहर आर.डी. 4.55 से निकली हसुआ उप वितरण नहर का संपूर्ण क्षेत्र.	57	6586	3
8	खजूरी वितरिका समिति पाटन शाखा नहर की आर.डी. 14.40 से निकली खजूरी वितरण नहर का संपूर्ण क्षेत्र (हसुआ उप वितरण नहर के क्षेत्र को छोड़कर)	52	6858	3
9	नगना वितरिका समिति पाटन शाखा नहर की आर. डी. 9.74 से निकली नगना उप वितरण का संपूर्ण क्षेत्र.	27	3605	2
10	चरगंवा वितरिका समिति बांयी तट मुख्य नहर की आर. डी. 0.00 से 63.40 के मध्य 22 नग डायरेक्ट माइनरों के संपूर्ण क्षेत्र एवं पाटन शाखा नहर की आर.डी 2.50 कि.मी. से निकली गोपालपुर माइनर 4.30 से निकली भेड़ाघाट एवं 5.50 से निकली तेवर माइनर.	59	7363	4
11	हरेरी वितरिका समिति-1 हरेरी शाखा नहर आर.डी. 0 से 20.00 कि.मी. एवं संपूर्ण वितरण प्रणाली.	50	6276.91	3
12	हरेरी वितरिका समिति-2 हरेरी शाखा नहर आर.डी. 20.00 कि.मी. से टेल तक एवं संपूर्ण वितरण प्रणाली.	40	5399.92	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	देवरी वितरिका समिति देवरी वितरण नहर आर.डी. 0 कि.मी. टेल तक एवं संपूर्ण वितरण प्रणाली.	38	5593.03	4
14	करेली वितरिका समिति करेली वितरण नहर आर.डी. 0 कि.मी. टेल तक एवं संपूर्ण वितरण प्रणाली.	34	4834.66	2
15	सिवनी वितरिका समिति मुख्य नहर की आर. डी. 83.315 से निकली केसली माइनर, 86.064 से सिवनी डिस्ट्रीब्यूटरी एवं 90.90 से निकली मातनपुर नहर का संपूर्ण क्षेत्र.	27	3946.922	3
16	बम्हनी वितरिका समिति भदगंवा शाखा नहर की आर.डी.. 10.00 से निकली गुंदरई, वितरण प्रणाली, केवलारी माइनर बेलखेड़ी-1,2, 7.655 से निकली बम्हनी वितरण प्रणाली शूरवारी माइनर का संपूर्ण क्षेत्र.	22	5122.01	2
17	मगरधा वितरिका समिति भदगंवा शाखा नहर की आर. डी. 5.25 से निकली मगरधा वितरण नहर का संपूर्ण कमांड क्षेत्र (धमना माइनर एवं सगौनी माइनर के कमांड को छोड़कर).	24	5425.867	3
18	बौछार वितरिका समिति भदगंवा शाखा नहर की आर.डी. 7.655 से बांसनपानी, 8.945 से बौछार प्रथम, 9.47 से बौछार द्वितीय मेख, 10.9 से करकबेल एवं देवरीकला 12.08 से अकोला, 13.50 से सिमरी डूंडी माइनर का संपूर्ण क्षेत्र.	16	3435.436	2
19	मचवारा वितरिका समिति भदगंवा शाखा नहर की आर. डी. 14.40 से निकली मचवारा वितरण नहर, 14.76 से बौछार माइनर 3,15.76 से बौछार माइनर 4, 16.32 से बरगी टेल, मगरधा वितरण नहर की आर. डी. 14.60 से धमना माइनर, 15.66 से सगौनी खुर्द माइनर का संपूर्ण क्षेत्र.	19	4954.538	3
20	अंडिया वितरिका समिति मुख्य नहर की आर. डी. 100.04 से निकली अंडिया वितरण नहर प्रणाली का संपूर्ण क्षेत्र.	13	2829.677	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
21	कंदेली वितरिका समिति मुख्य नहर की आर. डी. 102.04 से निकली कंदेली वितरण नहर प्रणाली का संपूर्ण क्षेत्र.	22	4261.345	3	
22	सुरगी वितरिका समिति मुख्य नहर की आर. डी. 109.05 से निकली सुरगी वितरण नहर प्रणाली का संपूर्ण क्षेत्र.	23	4523.055	3	
23	रहली वितरिका समिति मुख्य नहर की आर. डी. 112.450 से निकली बरखेडा-1, 114.200 से बरखेडा-2, 115. 200 बेलखेड़ी, 117.180 से रमखिरिया, 119. 53 से बिछुआ-2, 122.26 से कोसमखेडा 122.650 से निवारी-1,123.530 निवारी 2,126.340 से बीनेर, 128.150 करौदा एवं 130.170 से रहली वितरण नहर प्रणाली का संपूर्ण क्षेत्र.	42	7465.255	3	
योग (23 वितरिका समिति)		योग—	792	124199.625	66

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2011

क्र. एफ 12-24-2011-सात-2ए.—यतः राज्य शासन की अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि तहसील बागली जिला देवास के ग्राम नयापुरा, की 33.93 हे. धारडी, की 100.42 हे. कोथमीर, की 114.68 हे. ग्राम गुवाड़ी की 6.68 हे. एवं ग्राम धारड़ी मजराटोला नरसिंहपुरा की 2.00 हे. तथा ग्राम नरसिंहपुरा की 21.421 हे. निजी भूमि इस प्रकार कुल रकबा 279.131 हेक्टेयर का अविकसित इकाई हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. (भूमि का वर्णन ग्रामवार सूची संलग्न है.)

2. और, यतः, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि उपरोक्त भूमि कुल अर्जित रकबा 279.131 हेक्टेयर भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है.

3. और, यतः, भूमि स्वामी को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और न ही उक्त भूमि का कब्जा लिया गया है, और ना ही भूमिस्वामी भू-अर्जन की कार्यवाही के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हर्जाने की मांग करेंगे और संबंधित भूमिस्वामी मुआवजा प्राप्त करने के लिये अधिकारी नहीं होंगे.

4. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 48 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा उपरिवर्णित ग्रामों का कुल रकबा 279.131 हेक्टेयर (संलग्न सूची अनुसार) के अधिग्रहण करने की कार्यवाही से अपने से प्रत्याहृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, उपसचिव.

भूमि का वर्णन

ग्राम—नयापुरा
प.ह.नं.—51
तहसील—बागली
जिला—देवास

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा
नंबर रकबा एवं परिसंपत्तियां

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित
किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर (1)	अर्जनीय रकबा (हे. में.) (2)	परिसंपत्तियां (3)	सर्वे नंबर (1)	रकबा (हे. में.) (2)	परिसंपत्तियां (3)
6 मेसे	2.82	अंजन-1,	6 मेसे	2.82	अंजन-1,
7 मेसे	0.79	अंजन-2, सागौन-7	7 मेसे	0.79	अंजन-2, सागौन-7
13/1 मेसे	0.04	-	13/1 मेसे	0.04	-
13/2 मेसे	0.03	-	13/2 मेसे	0.03	-
18/1	0.41	-	18/1	0.41	-
18/2 मेसे	0.24	-	18/2 मेसे	0.24	-
18/3 मेसे	0.20	सागौन-4	18/3 मेसे	0.20	सागौन-4
18/4 मेसे	0.23	-	18/4 मेसे	0.23	-
18/5	0.26	सागौन-3, आंवला-1	18/5	0.26	सागौन-3, आंवला-1
18/6 मेसे	0.23	-	18/6 मेसे	0.23	-
18/7 मेसे	0.06	-	18/7 मेसे	0.06	-
19/3 मेसे	0.08	-	19/3 मेसे	0.08	-
19/4	0.15	-	19/4	0.15	-
19/5	0.25	-	19/5	0.25	-
19/6	0.14	-	19/6	0.14	-
20/1 मेसे	0.13	सागौन-1	20/1 मेसे	0.13	सागौन-1
20/2 मेसे	0.30	बेर-1	20/2 मेसे	0.30	बेर-1
20/3 मेसे	0.18	-	20/3 मेसे	0.18	-
21/1 मेसे	0.11	-	21/1 मेसे	0.11	-
21/2 मेसे	0.22	बेर-1	21/2 मेसे	0.22	बेर-1
21/3 मेसे	0.19	महुआ-1	21/3 मेसे	0.19	महुआ-1
22/1 मेसे	0.03	-	22/1 मेसे	0.03	-
22/2 मेसे	0.17	-	22/2 मेसे	0.17	-
22/3 मेसे	0.19	-	22/3 मेसे	0.19	-
23	0.02	-	23	0.02	-
26	0.02	-	26	0.02	-
27	0.02	-	27	0.02	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
28	0.02	-	28	0.02	-
29	0.02	-	29	0.02	-
30	0.02	-	30	0.02	-
31	0.02	-	31	0.02	-
32	0.02	-	32	0.02	-
33 मेसे	1.01	सागौन-7, अंजन-1, बेर-2, महुआ-1	33 मेसे	1.01	सागौन-7, अंजन-1, बेर-2, महुआ-1
36 मेसे	1.50	-	36 मेसे	1.50	-
42 मेसे	1.12	इमली-1	42 मेसे	1.12	इमली-1
43 मेसे	2.00	पा.ला.-3	43 मेसे	2.00	पा.ला.-3
50 मेसे	3.65	सागौन-12, आम-1	50 मेसे	3.65	सागौन-12, आम-1
51 मेसे	1.20	अंजन-4, बेर-1	51 मेसे	1.20	अंजन-4, बेर-1
53/1 मेसे	0.18	-	53/1 मेसे	0.18	-
53/2 मेसे	0.49	-	53/2 मेसे	0.49	-
55 मेसे	0.30	-	55 मेसे	0.30	-
61 मेसे	3.01	सागौन-32, टेमरू-1	61 मेसे	3.01	सागौन-32, टेमरू-1
74 मेसे	1.20	बेर-5, आम-2	74 मेसे	1.20	बेर-5, आम-2
76 मेसे	0.71	सागौन-5	76 मेसे	0.71	सागौन-5
77 मेसे	0.81	-	77 मेसे	0.81	-
78 मेसे	0.16	-	78 मेसे	0.16	-
80/1 मेसे	0.53	सुरजना-1	80/1 मेसे	0.53	सुरजना-1
80/2 मेसे	0.48	आम-1	80/2 मेसे	0.48	आम-1
80/3 मेसे	0.75	-	80/3 मेसे	0.75	-
82 मेसे	0.60	सागौन-15, बैर-30	82 मेसे	0.60	सागौन-15, बैर-30
83	0.11	-	83	0.11	-
84 मेसे	0.75	सागौन-17, बैर-8	84 मेसे	0.75	सागौन-17, बैर-8
87/1	0.72	-	87/1	0.72	-
87/2	0.73	आम-1	87/2	0.73	आम-1
87/3	0.72	-	87/3	0.72	-
87/4	0.72	-	87/4	0.72	-
87/5	0.75	-	87/5	0.75	-
91 मेसे	2.10	सागौन-5	91 मेसे	2.10	सागौन-5
25/99	0.02	-	25/99	0.02	-
योग . .	33.93	इमारती वृक्ष 116, फलदार वृक्ष 59, पाईप लाईन 3	योग . .	33.93	इमारती वृक्ष 116 फलदार वृक्ष 59 पाईप लाईन 3

भूमि का वर्णन

ग्राम—धारड़ी
प.ह.नं.—51
तहसील—बागली
जिला—देवास

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा
नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित
किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां	सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
18	1.900	अंजन-2, सागवन-16	18	1.900	अंजन-2, सागवन-16
19	2.850	ट्यूबवेल-1, सागवन-30 गोदी-1	19	2.850	ट्यूबवेल-1, सागवन-30 गोदी-1
20	1.510	-	20	1.510	-
21	0.580	सागवन-20, अंजन-6	21	0.580	सागवन-20, अंजन-6
22	0.200	कुआ पक्का-1	22	0.200	कुआ पक्का-1
23	0.120	सागवन-4	23	0.120	सागवन-4
24	0.120	-	24	0.120	-
27	1.370	-	27	1.370	-
28/1	1.250	-	28/1	1.250	-
28/2	0.370	-	28/2	0.370	-
28/3	0.380	-	28/3	0.380	-
29/1	0.150	-	29/1	0.150	-
29/2	0.750	-	29/2	0.750	-
29/3	1.380	-	29/3	1.380	-
30	1.030	-	30	1.030	-
31	3.010	ट्यूबवेल-2	31	3.010	ट्यूबवेल-2
32	0.910	-	32	0.910	-
33	0.910	सागवन-3	33	0.910	सागवन-3
34	2.330	ट्यूबवेल-1, सागवन-22 अंजन-2	34	2.330	ट्यूबवेल-1, सागवन-22 अंजन-2
35	1.050	कुआ पक्का-1, सागवन-23	35	1.050	कुआ पक्का-1, सागवन-23
37	0.910	-	37	0.910	-
38	0.910	-	38	0.910	-
39	0.910	-	39	0.910	-
72	5.690	ट्यूबवेल-1 कुआ कच्चा-1	72	5.690	ट्यूबवेल-1 कुआ कच्चा-1
73	0.640	-	73	0.640	-

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
74	0.130	-
75	1.140	ट्यूबवेल-1, कुआ पक्का 1, आम-1
76	1.910	ट्यूबवेल-2, सागवन-1
78	1.140	-
79	0.760	ट्यूबवेल-1, आम-2
82/1	0.660	ट्यूबवेल-2, कुआ कच्चा-1, पा.ला.-1, जाम-2, आम-8 सीताफल-1
82/2	0.250	-
82/3	0.250	-
82/4 मेसे	0.238	-
82/5	0.250	-
82/6 मेसे	0.211	कुआ कच्चा-1, बैर-1
83	1.270	कुआ पक्का-1, आम-1
84/1	1.640	ट्यूबवेल-1
84/2 मेसे	1.635	कुआ कच्चा-1
86	0.920	-
87	0.380	-
88/1	0.710	ट्यूबवेल-1, जाम-3, बैर-1
88/2	0.350	-
88/3	0.360	कुआ कच्चा 1, नीबू-1, आम-1, बैर-1
88/4	0.350	महुआ-1
90/1	0.240	-
90/2	0.230	-
90/3	0.240	-
91	0.370	कुआ कच्चा-1
92/1	0.530	ट्यूबवेल-1, गोदी-1
92/2	0.520	-
92/3	0.530	महुआ-1, कुआ कच्चा-1
94/1	1.000	-

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
74	0.130	-
75	1.140	ट्यूबवेल-1, कुआ पक्का 1, आम-1
76	1.910	ट्यूबवेल-2, सागवन-1
78	1.140	-
79	0.760	ट्यूबवेल-1, आम-2
82/1	0.660	ट्यूबवेल-2, कुआ कच्चा-1, पा.ला.-1, जाम-2, आम-8 सीताफल-1
82/2	0.250	-
82/3	0.250	-
82/4 मेसे	0.238	-
82/5	0.250	-
82/6 मेसे	0.211	कुआ कच्चा-1, बैर-1
83	1.270	कुआ पक्का-1, आम-1
84/1	1.640	ट्यूबवेल-1
84/2 मेसे	1.635	कुआ कच्चा-1
86	0.920	-
87	0.380	-
88/1	0.710	ट्यूबवेल-1, जाम-3, बैर-1
88/2	0.350	-
88/3	0.360	कुआ कच्चा 1, नीबू-1, आम-1, बैर-1
88/4	0.350	महुआ-1
90/1	0.240	-
90/2	0.230	-
90/3	0.240	-
91	0.370	कुआ कच्चा-1
92/1	0.530	ट्यूबवेल-1, गोदी-1
92/2	0.520	-
92/3	0.530	महुआ-1, कुआ कच्चा-1
94/1	1.000	-

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नम्बर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
94/2	0.190	कुआ कच्चा-1, पा.ला.-1, बेर-3, जाम-1, सुरजना-1
94/3	2.010	-
94/4	0.190	-
94/5	0.190	-
94/6	0.180	सागवन-6
102/1	0.650	-
102/2 मेसे	1.545	जाम-1, नीबू-2
104	0.100	-
106 मेसे	0.900	सागवन-1, महुआ-1
108 मेसे	4.300	ट्यूबवेल-1, कुआ कच्चा-1 सागवन-104, अंजन-1, आम-1, बेर-1, महुआ-1
111	0.540	सागवन-30
112	0.010	-
113	0.010	-
114	0.020	-
115	0.050	-
116 मेसे	1.490	सागवन-62
117/1	1.750	सागवन-45
117/2	3.130	सागवन-48, बेर-2
118	5.220	-
120/1 मेसे	3.010	सागवन-4
120/2 मेसे	2.910	सागवन-5
120/3	3.130	सागवन-2
120/4	0.500	सागवन-5, महुआ-1
120/5	2.630	सागवन-45
122	2.730	-
123 मेसे	0.520	-
127 मेसे	1.640	-
128 मेसे	1.710	-
129 मेसे	1.160	-
130 मेसे	1.230	-

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
94/2	0.190	कुआ कच्चा-1, पा.ला.-1, बेर-3, जाम-1, सुरजना-1
94/3	2.010	-
94/4	0.190	-
94/5	0.190	-
94/6	0.180	सागवन-6
102/1	0.650	-
102/2 मेसे	1.545	जाम-1, नीबू-2
104	0.100	-
106 मेसे	0.900	सागवन-1, महुआ-1
108 मेसे	4.300	ट्यूबवेल-1, कुआ कच्चा-1 सागवन-104, अंजन-1, आम-1, बेर-1, महुआ-1
111	0.540	सागवन-30
112	0.010	-
113	0.010	-
114	0.020	-
115	0.050	-
116 मेसे	1.490	सागवन-62
117/1	1.750	सागवन-45
117/2	3.130	सागवन-48, बेर-2
118	5.220	-
120/1 मेसे	3.010	सागवन-4
120/2 मेसे	2.910	सागवन-5
120/3	3.130	सागवन-2
120/4	0.500	सागवन-5, महुआ-1
120/5	2.630	सागवन-45
122	2.730	-
123 मेसे	0.520	-
127 मेसे	1.640	-
128 मेसे	1.710	-
129 मेसे	1.160	-
130 मेसे	1.230	-

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नम्बर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर (1)	अर्जनीय रकबा (हे. में.) (2)	परिसंपत्तियां (3)
132 मेसे	0.240	-
133 मेसे	0.020	-
135 मेसे	0.025	-
140 मेसे	1.045	-
143 मेसे	0.157	-
144 मेसे	0.030	-
145	0.030	-
146	0.030	गोदी-1
148 मेसे	0.008	नीबू-1, बेर-1, आम-1
149 मेसे	0.031	-
150 मेसे	0.036	-
151 मेसे	0.034	-
153	0.010	-
154 मेसे	0.005	-
155	0.100	-
157 मेसे	0.923	-
158 मेसे	0.091	-
162 मेसे	0.090	-
163 मेसे	0.090	-
164 मेसे	0.090	-
165 मेसे	0.080	-
168 मेसे	0.650	-
169 मेसे	1.680	-
170	0.050	-
173 मेसे	1.770	-
60/179	0.010	-
60/180	0.010	-

योग . . 100.42

कुआ कच्चा-9, कुआ पक्का-4,
कुल 13, ट्यूबवेल-15
पा.ला.-2, इमारती 487,
फलदार-46

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नम्बर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर (1)	रकबा (हे. में.) (2)	परिसंपत्तियां (3)
132 मेसे	0.240	-
133 मेसे	0.020	-
135 मेसे	0.025	-
140 मेसे	1.045	-
143 मेसे	0.157	-
144 मेसे	0.030	-
145	0.030	-
146	0.030	गोदी-1
148 मेसे	0.008	नीबू-1, बेर-1, आम-1
149 मेसे	0.031	-
150 मेसे	0.036	-
151 मेसे	0.034	-
153	0.010	-
154 मेसे	0.005	-
155	0.100	-
157 मेसे	0.923	-
158 मेसे	0.091	-
162 मेसे	0.090	-
163 मेसे	0.090	-
164 मेसे	0.090	-
165 मेसे	0.080	-
168 मेसे	0.650	-
169 मेसे	1.680	-
170	0.050	-
173 मेसे	1.770	-
60/179	0.010	-
60/180	0.010	-

योग . . 100.42

कुआ कच्चा-9, कुआ पक्का-4,
कुल 13, ट्यूबवेल-15,
पा.ला.-2, इमारती 487,
फलदार-46

भूमि का वर्णन

ग्राम—कोथमीर
प.ह.नं.—51
तहसील—बागली
जिला—देवास

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा
नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर (1)	अर्जनीय रकबा (हे. में.) (2)	परिसंपत्तियां (3)
3/1	1.53	महुआ-4, आम-1
3/2	0.71	-
3/3	0.72	महुआ-1
3/4	1.12	महुआ-1, जाम-2
3/5	0.40	महुआ-1
3/6	0.40	-
3/7	1.53	आम-2
10 मेसे	7.28	-
11/1 मेसे	3.79	-
11/2 मेसे	1.17	-
11/3 मेसे	2.14	-
17/1 मेसे	0.22	-
17/2 मेसे	0.24	-
17/3 मेसे	0.22	-
17/4 मेसे	0.28	-
17/5 मेसे	0.44	-
19 मेसे	0.40	-
20/1 मेसे	0.04	-
20/2 मेसे	0.06	-
20/3 मेसे	0.13	-
20/4 मेसे	0.12	-
20/5 मेसे	0.11	-
20/6 मेसे	0.10	-
22	0.11	-
26/1 मेसे	0.49	म.क.-3, आगन मं.-4
26/2 मेसे	0.33	-
26/3 मेसे	0.33	-
26/4 मेसे	0.36	-

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित
किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर (1)	रकबा (हे. में.) (2)	परिसंपत्तियां (3)
3/1	1.53	महुआ-4, आम-1
3/2	0.71	-
3/3	0.72	महुआ-1
3/4	1.12	महुआ-1, जाम-2
3/5	0.40	महुआ-1
3/6	0.40	-
3/7	1.53	आम-2
10 मेसे	7.28	-
11/1 मेसे	3.79	-
11/2 मेसे	1.17	-
11/3 मेसे	2.14	-
17/1 मेसे	0.22	-
17/2 मेसे	0.24	-
17/3 मेसे	0.22	-
17/4 मेसे	0.28	-
17/5 मेसे	0.44	-
19 मेसे	0.40	-
20/1 मेसे	0.04	-
20/2 मेसे	0.06	-
20/3 मेसे	0.13	-
20/4 मेसे	0.12	-
20/5 मेसे	0.11	-
20/6 मेसे	0.10	-
22	0.11	-
26/1 मेसे	0.47	-
26/2 मेसे	0.33	-
26/3 मेसे	0.33	-
26/4 मेसे	0.36	-

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
26/5 मेसे	0.36	-
30/1 मेसे	0.07	म.क.-10, आगन म.-19
32/2 मेसे	0.05	-
31	0.10	-
32/1 मेसे	0.73	-
32/2 मेसे	0.76	-
32/3 मेसे	0.65	-
32/5 मेसे	0.01	-
32/6 मेसे	0.08	-
37 मेसे	0.05	-
38 मेसे	1.75	-
39 मेसे	1.04	-
41	2.84	-
44 मेसे	2.38	-
45/1	0.09	-
45/2	0.08	-
45/3 मेसे	0.08	-
45/4 मेसे	0.05	-
45/5	0.08	-
48	4.40	-
51 मेसे	0.37	-
55	0.05	-
56	0.02	-
57	0.01	-
58	0.01	-
59	0.01	-
60 मेसे	2.79	कुआ-1, ट्यूबवेल-1
62	1.45	-
64/1 मेसे	0.95	-
64/2	4.99	-
66	0.84	-
68	0.01	-
69	0.01	-

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
26/5 मेसे	0.36	-
30/1 मेसे	0.00	-
32/2 मेसे	0.05	-
31	0.10	-
32/1 मेसे	0.73	-
32/2 मेसे	0.76	-
32/3 मेसे	0.65	-
32/5 मेसे	0.01	-
32/6 मेसे	0.08	-
37 मेसे	0.05	-
38 मेसे	1.75	-
39 मेसे	1.04	-
41	2.84	-
44 मेसे	2.38	-
45/1	0.09	-
45/2	0.08	-
45/3 मेसे	0.08	-
45/4 मेसे	0.05	-
45/5	0.08	-
48	4.40	-
51 मेसे	0.37	-
55	0.05	-
56	0.02	-
57	0.01	-
58	0.01	-
59	0.01	-
60 मेसे	2.79	कुआ-1, ट्यूबवेल-1
62	1.45	-
64/1 मेसे	0.95	-
64/2	4.99	-
66	0.84	-
68	0.01	-
69	0.01	-

तालिका—1

तालिका—2

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां			अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां		
सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां	सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
70	1.09	-	70	1.09	-
71	0.32	-	71	0.32	-
72	0.67	-	72	0.67	-
74	0.85	-	74	0.85	-
75	1.85	-	75	1.85	-
76/1	1.41	-	76/1	1.41	-
76/2	1.40	ट्यूबवेल-1	76/2	1.40	ट्यूबवेल-1
77	1.77	कुआ-1, ट्यूबवेल-1, सागौन-5	77	1.77	कुआ-1, ट्यूबवेल-1, सागौन-5
78	0.37	-	78	0.37	-
79	0.40	-	79	0.40	-
82	1.72	-	82	1.72	-
83	1.72	-	83	1.72	-
84 मेसे	4.31	कुआ-1, ट्यूबवेल-1	84 मेसे	4.31	कुआ-1, ट्यूबवेल-1
85 मेसे	2.61	कुआ-1, ट्यूबवेल-2	85 मेसे	2.61	कुआ-1, ट्यूबवेल-2
87 मेसे	0.95	अंजन-2, आम-1	87 मेसे	0.95	अंजन-2, आम-1
88 मेसे	1.11	-	88 मेसे	1.11	-
89 मेसे	1.14	अंजन-2, कुआ-1, बेर-5	89 मेसे	1.14	अंजन-2, कुआ-1, बेर-5
90/1 मेसे	0.93	-	90/1 मेसे	0.93	-
90/2 मेसे	0.20	-	90/2 मेसे	0.20	-
91/1	0.40	-	91/1	0.40	-
91/2	0.40	-	91/2	0.40	-
91/3 मेसे	0.39	-	91/3 मेसे	0.39	-
91/4 मेसे	0.20	-	91/4 मेसे	0.20	-
92 मेसे	1.51	-	92 मेसे	1.51	-
95	1.77	-	95	1.77	-
97/1 मेसे	1.08	बेर-7	97/1 मेसे	1.08	बेर-7
97/2 मेसे	1.03	-	97/2 मेसे	1.03	-
97/3 मेसे	0.83	बेर-5	97/3 मेसे	0.83	बेर-5
97/4 मेसे	0.89	-	97/4 मेसे	0.89	-
97/5 मेसे	0.99	-	97/5 मेसे	0.99	-
99 मेसे	2.42	-	99 मेसे	2.42	-
101 मेसे	1.99	-	101 मेसे	1.99	-

तालिका-1

तालिका-2

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां	सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
102/1 मेसे	0.28	-	102/1 मेसे	0.28	-
102/2 मेसे	0.58	-	102/2 मेसे	0.58	-
102/3 मेसे	0.76	-	102/3 मेसे	0.76	-
102/4 मेसे	0.74	आम-1	102/4 मेसे	0.74	आम-1
103/1 मेसे	0.09	-	103/1 मेसे	0.09	-
103/2 मेसे	0.54	-	103/2 मेसे	0.54	-
103/3 मेसे	0.51	-	103/3 मेसे	0.51	-
103/4	0.58	-	103/4	0.58	-
103/5 मेसे	0.55	-	103/5 मेसे	0.55	-
104/1 मेसे	0.10	-	104/1 मेसे	0.10	-
104/2 मेसे	0.38	-	104/2 मेसे	0.38	-
104/3 मेसे	1.86	-	104/3 मेसे	1.86	-
105 मेसे	2.08	-	105 मेसे	2.08	-
106	2.24	-	106	2.24	-
107	2.12	-	107	2.12	-
109	0.05	-	109	0.05	-
110	0.02	-	110	0.02	-
111	0.02	-	111	0.02	-
112	0.02	-	112	0.02	-
113 मेसे	2.00	-	113 मेसे	2.00	-
114	0.77	-	114	0.77	-
115/1 मेसे	1.69	-	115/1 मेसे	1.69	-
115/2 मेसे	0.40	-	115/2 मेसे	0.40	-
118	0.02	-	118	0.02	-
119 मेसे	1.54	-	119 मेसे	1.54	-
120 मेसे	0.12	-	120 मेसे	0.12	-
121 मेसे	1.18	-	121 मेसे	1.18	-
123 मेसे	2.88	-	123 मेसे	2.88	-
21 शास.		म.क.-8, आगन मंडप-8			
योग . .	114.77	मकान कच्चे-21, आंगन मंडप-31, फलदार-31, अंजन-4, सागवन-5, कच्चे कुएं-5 ट्यूबवेल 6	योग . .	114.68	फलदार-31, अंजन-4, सागवन-5, कच्चे कुएं-5 ट्यूबवेल 6

भूमि का वर्णन

ग्राम—गुवाड़ी
प.ह.नं.—52
तहसील—बागली
जिला—देवास

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा
नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
9 में से	2.59	-
14 में से	2.15	-
21 में से	0.05	-
22 में से	0.05	-
24 में से	1.60	पाईप लाईन 1, जाम 7 आम 2 नीबू 3
29	0.06	
30	0.06	
31	0.06	
32	0.06	

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित
किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
9 में से	2.59	-
14 में से	2.15	-
21 में से	0.05	-
22 में से	0.05	-
24 में से	1.60	पाईप लाईन 1, जाम 7 आम 2 नीबू 3
29	0.06	
30	0.06	
31	0.06	
32	0.06	

योग . .	6.68	पाईप लाईन 1, जाम 7 आम 2 नीबू 3	योग . .	6.68	पाईप लाईन 1, जाम 7 आम 2 नीबू 3
---------	------	-----------------------------------	---------	------	-----------------------------------

भूमि का वर्णन

ग्राम—धारड़ी मजरा टोला नरसिंगपुरा
प.ह.नं.—51
तहसील—बागली
जिला—देवास

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा
नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
42	2.00	सागवान 3
43	0.01	कच्चा मकान 2 पानी की टंकी 1 ढाल 1 आंगन मंडप 2

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित
किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर, रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
42	2.00	सागवान 3

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
44	0.01	कच्चा मकान 1 आंगन मंडप 1			
45	0.01	कच्चा मकान 1 आंगन मंडप 1			
46	0.01	पक्का 1 ढाल 2 कच्चा टप्पर 1 आंगन मंडप 1			
47	0.01	पक्का 1 मकान कच्चा 1 ढाल 1 पनिहार पक्का 1 आंगन मंडप 1			
48	0.01	कच्चा मकान 1 ढाल 1 आंगन मंडप 1			
49	0.01	कच्चा मकान 1			
50	0.01	पक्का मकान 1 आंगन मंडप 2			
52	0.01	पक्का मकान 1			
53	0.01	कच्चा मकान 1 आंगन मंडप 2			
54	0.01	कच्चा मकान 1 आंगन मंडप 2			
55	0.01	कच्चा टप्पर 2			
56	0.01	कच्चा मकान 2 आंगन मंडप-1			
57	0.01	कच्चा मकान 1			
58	0.01	कच्चा मकान 1			
59	0.01	कच्चा मकान 1			
60	0.02	कच्चा मकान 1			
61	0.01	पक्का मकान 1			
62	0.02	पक्का मकान 1 ढाल 1			
63	0.02	कच्चा मकान 1 ढाल 2 टप्पर 1			
64	0.01	कच्चा मकान 1 ढाल 1			
65	0.01	कच्चा मकान 1 ढाल 1			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
66	0.01	पक्का मकान 1 ढाल मंडप 1			
67	0.01	पक्का टप्पर 2 ढाल मंडप 1			
68	0.01	पक्का मकान 1 कच्चा मकान 1 ढाल पक्की कम्पाउंडवाल 1 आंगन मंडप 1.			
योग :—	2.28	म. क. 24, प. 8, अन्य-29, बा. वाल 1, सागौन 3 योग-65	योग :—	2.00	सागवान 3

शासकीय भूमि

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
69	0	म.क. 64, पक्के-23 अन्य-103, बाउण्ड्रीवाल प. 2 योग-198

भूमि का वर्णन

ग्राम—नरसिंगपुरा
प.ह.नं.—51
तहसील—बागली
जिला—देवास

तालिका—1

अधिनियम की धारा 4/6 के अन्तर्गत प्रकाशित खसरा नंबर रकबा एवं परिसंपत्तियां

तालिका—2

अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहारित किए जाने वाली भूमि का खसरा नंबर रकबा एवं परिसंपत्तियां

सर्वे नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां	सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	0.600		1	0.600	
2	1.400		2	1.400	
5/1	0.740		5/1	0.740	
5/2	2.700	कुआ कच्चा 1, सागवन 3, आम 3	5/2	2.700	कुआ कच्चा 1, सागवन 3, आम 3
8 में से	1.511	कुआ कच्चा 1, सागवन 1, बेर 3	8 में से	1.511	कुआ पक्का 1, सागवन 1, बेर 3

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
9	1.520	ट्यूबवेल 1	9	1.520	ट्यूबवेल 1,
10	1.520	टप्पर 1, ट्यूबवेल 1	10	1.520	टप्पर 1, ट्यूबवेल 1
11	1.520	टप्पर 1, कुआ पक्का 1, ट्यूब बेल 1	11	1.520	टप्पर 1, कुआ पक्का 1, ट्यूब बेल 1
12	1.990	टपरी 1, ट्यूब बेल 1 जाम 3, बेर 1, पा.ला. 1	12	1.990	टपरी 1, ट्यूब बेल 1, जाम 3, बेर 1, पा.ला. 1
13	1.470	कच्चा मकान 1, ट्यूब बेल 1, कुआ कच्चा 1 सागवन 3, बेर 5	13 में से	1.460	ट्यूब बेल 1, कुआ कच्चा 1, सागवन 3 बेर 5.
14	1.470	ट्यूब बेल 1, नीबू 1 बेर 1 सागवन 2	14	1.470	ट्यूब बेल 1, नीबू 1 बेर 1 सागवन 2
15	0.700		15	0.700	
16	1.400	ट्यूब बेल 1	16	1.400	ट्यूब बेल 1
17	0.700		17	0.700	
18	0.220		18	0.220	
19	0.300	आम 1, कच्चा मकान 1	19 में से	0.290	आम 1
20	0.300	ट्यूब बेल 1, कच्चा मकान 1, पक्का मकान 2, आंगन मंडप 10, ढाल 3 पक्की पनिहारी 1, पानी की टंकी पक्की 1	20 में से	0.250	ट्यूब बेल 1
21	0.110	कुआ 1 पक्का	21	0.110	कुआ 1 पक्का
22	1.400	सागवन 5, बेर 2, इमली 1 पक्का मकान 6, कच्चा मकान 7, पनिहारी 1 पक्की आंगन मंडप 12, ढाल 3, पक्का कुआ 1. कुआ कच्चा 2, कुआ पक्के 4, सोगवन 14, आम 4, बैर 12, नीबू 1, ट्यूबवेल 8, टप्पर 3, जाम 3, पा.ला. 1 मकान कच्चे 7, मकान पक्के 8, ढाल 6, पनिहारी 2, पक्का आंगन 1, आंगन मंडप 27, पानी की टंकी 1, इमली 1.	22 में से	1.320	सागवन 5, बेर 2, इमली पक्का कुआ-1. कुआ कच्चा 2, कुआ पक्के 4, सागवन 14, आम 4, बैर 12, नीबू 1 ट्यूब-बेल 8, इमली 1 टप्पर 3 जाम 3, पा.ला. 1.
योग :—	21.571		योग :—	21.421	

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-13-7-2010-बारह-2.—मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2006 के नियम 6 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, अतिभारण तथा रायल्टी के अपवंचन की जांच हेतु मध्यप्रदेश के जिला जबलपुर में निम्नलिखित स्थानों पर जांच चौकियां स्थापित करती है:—

अनुक्रमांक	स्थान जहां जांच चौकी स्थापित की जाना है	मार्ग के ब्यौरे	मील पत्थर जहां जांच चौकी स्थापित की जानी है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शहपुरा-जबलपुर (जिला-जबलपुर)	जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग	25 वां किलोमीटर
2	पनानगर-जबलपुर (जिला-जबलपुर)	जबलपुर-कटनी राजमार्ग	25 वां किलोमीटर

इन जांच चौकियों की स्थापना से संबंधित समस्त प्रशासकीय व्यय मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा वहन किये जायेंगे.

No. F-13-7-2010-XII-2.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 6 of the Madhya Pradesh Mineral (Prevention of Illegal mining, Transportaion and Storage) Rules, 2006, the State Government, hereby, establish Check Posts on the following places in district Jabalpur of Madhya Pradesh for checking of illegal extraction, Tansportation, overloading and evasion of Royalty of Sand.

S. No.	Place where check Post to be established/District	Details of way	Mile Stone where Check Post to be established
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shahpura-Jabalpur (Distt. Jabalpur)	Jabalpur-Bhopal Rashtriya Rajmarg	25th KM
2	Panagar-Jabalpur (Distt. Jabalpur)	Jabalpur-Katni Rajmarg	25th KM

All administrative expenditures related to establish these check posts shall be borne by Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2012

क्र. एफ. 67-229-10-तीन-01.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत न्यूटन चिखली जिला छिन्दवाड़ा के आम निर्वाचन में श्री योगेश डेहरिया, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत न्यूटन चिखली जिला छिन्दवाड़ा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, छिन्दवाड़ा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, छिन्दवाड़ा के पत्र क्र. 862-न.पा.-व्यय-09, दिनांक 21 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री योगेश डेहरिया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री योगेश डेहरिया को कारण बताओ नोटिस दिनांक 6 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला

निर्वाचन अधिकारी, छिन्दवाड़ा के माध्यम से दिनांक 25 फरवरी, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री योगेश डेहरिया को नोटिस दिनांक 25 फरवरी, 2010 को तामील कराया गया अतः उनको दिनांक 12 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामिली उपरान्त कलेक्टर, छिन्दवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 11 अगस्त 2011 में लेख किया कि “श्री योगेश डेहरिया द्वारा निर्धारित समयावधि में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है. आपके द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की तामिली के पश्चात् नोटिस में उल्लेखित अवधि भी निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.” कलेक्टर, छिन्दवाड़ा से उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 2 नवम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली कलेक्टर, छिन्दवाड़ा द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री योगेश डेहरिया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत न्यूटन चिखली, जिला छिन्दवाड़ा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2012

क्र. एफ. 67-206-10-तीन-03.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, दमोह जिला दमोह के आम निर्वाचन में श्री सुभाष राय बाबाजी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद्, दमोह जिला दमोह के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, दमोह के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दमोह के पत्र क्र. न.पा.नि/नि.व्य.रिपो./10-239, दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सुभाष राय बाबाजी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सुभाष राय बाबाजी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 फरवरी, 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दमोह के माध्यम से दिनांक 22 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक

स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री सुभाष राय बाबाजी को नोटिस दिनांक 22 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 9 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर दमोह ने अपने पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि में निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है. कलेक्टर दमोह से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 14 दिसम्बर 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, दमोह द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सुभाष राय बाबाजी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, दमोह जिला दमोह का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2012

क्र. एफ. 67-205-10-तीन-05.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह

निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत शाहपुर, जिला सागर के आम निर्वाचन में श्री आमीन खान-खिलान खान अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर पंचायत शाहपुर, जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के पत्र क्र. क/ 754/स्था.निर्वा./ 10 दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री आमीन खान-खिलान खान द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री आमीन खान-खिलान खान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31 मई, 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के माध्यम से दिनांक 19 जून, 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री आमीन खान-खिलान खान को नोटिस दिनांक 19 जून 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 4 जुलाई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त, 2010 में लेख किया कि “श्री आमीन खान को दिए गए नोटिस की तामिली विधिवत कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है” उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 2 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली 23 नवम्बर 2011 को हो गई थी, किन्तु अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री आमीन खान-खिलान खान को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत शाहपुर, जिला सागर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2012

क्र. एफ. 67-205-10-तीन-06.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के

परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत शाहपुर जिला सागर के आम निर्वाचन में श्री रामदास अहिरवार अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे नगर पंचायत, शाहपुर जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के पत्र क्र. क 754/स्था.निर्वा./10 दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रामदास अहिरवार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री रामदास अहिरवार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31 मई, 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के माध्यम से दिनांक 23 जून, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री रामदास अहिरवार को नोटिस दिनांक 23 जून, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 08 जुलाई, 2010 तक

अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त, 2010 में लेख किया कि "श्री रामदास अहिरवार को दिए गए नोटिस की तामिली विधिवत कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है." उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 2 दिसम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली 13 नवम्बर 2011 को हो गई थी, किन्तु अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रामदास अहिरवार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत शाहपुर, जिला सागर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरहिंत (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2012

क्र. एफ. 67-257-10-तीन-08.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही

लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बिरसिंहपुर जिला सतना के आम निर्वाचन में सुश्री गुड्डन अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे। नगर पंचायत, बिरसिंहपुर जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र.594/स्था.निर्वा./न.पा./09-10 दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री गुड्डन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री गुड्डन को कारण बताओ नोटिस दिनांक 29 मार्च, 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से दिनांक 12 मई, 2011 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

सुश्री गुड्डन को नोटिस दिनांक 12 मई, 2011 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 27 मई, 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना ने अपने पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 2011 में लेख किया कि अभ्यर्थी सुश्री गुड्डन द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन तहसीलदार एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत बिरसिंहपुर तथा इस

कार्यालय में आज दिनांक तक जमा नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री गुड्डन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत बिरसिंहपुर जिला सतना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2012

क्र. एफ. 67-166-10-तीन-27.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत जतारा जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री दिनेश कुमार जैन (पप्पू) अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत जतारा जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्र. न.नि.-व्यय लेखा-10-406 दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री दिनेश कुमार जैन (पप्पू) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री दिनेश कुमार जैन (पप्पू) को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से तामील करवाया गया एवं नोटिस की तामीलशुदा प्रति कलेक्टर, टीकमगढ़ के पत्र दिनांक 23 मार्च, 2010 के संलग्न आयोग में प्राप्त हुई. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री दिनेश कुमार जैन (पप्पू) को नोटिस दिनांक 23 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 7 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामिली उपरांत कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 10 अगस्त, 2011 में लेख किया कि "श्री दिनेश कुमार जैन (पप्पू) को कारण बताओ नोटिस की तामिली मुख्य नगरपालिका अधिकारी जतारा से प्राप्त दि. 09 मार्च, 2010 के बाद उक्त अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि में निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है." कलेक्टर, टीकमगढ़ से उक्त अभिमत प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 16 नवम्बर, 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 3 नवम्बर, 2011 को

कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री दिनेश कुमार जैन (पप्पू) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, जतारा, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि
प्रशासन मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2012

क्र. 3-खाद्य-2-35-2011-90.—खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के विनियम 1.2.5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त समस्त अभिहित अधिकारी, मध्यप्रदेश को उक्त विनियम के प्रयोजन हेतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है.

No.-3-Food-2-35-2011-90.—In exercise of the powers conferred by regulation 1.2.5 of Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Buiness) Regulation, 2011, the Commissioner of Food Safety, Madhya Pradesh hereby notifies all Designated Officers appointed in the State under sub-section (1) of Section 36 of the Food Safety and Standards Act, 2006 to be the Registering Authority for the purpose of above Regulation.

अश्विनी कुमार राय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

क्र. 9378-एस.डब्लू-11.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2 (द) (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी की गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर सिवनी जिले के थाना छपारा के अन्तर्गत आने वाले ग्राम सेमरताल को थाना छपारा सीमा क्षेत्र से हटाकर थाना लखनादौन की सीमा क्षेत्र में परिसीमन किया जाता है।

अजीत कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

परिसीमन हेतु प्रस्ताव

स. क्र.	थाना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम की दूरी	ग्रामों को जिस थाना में सम्मिलित किया जाना है उस थाने का नाम	थाने से दूरी	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	थाना छपारा	सेमरताल	15 कि.पी.	थाना लखनादौन	22 कि.मी.	ग्राम सेमरताल से थाना छपारा का रास्ता अत्यन्त उबड़-खाबड़, दुर्गम एवं जंगली रास्ता है जिससे ग्रामवासियों को थाना छपारा तक आने में कठिनाई होती है जबकि ग्राम सेमरताल के आस-पास के ग्राम थाना लखनादौन क्षेत्र में आते हैं जहां से ग्रामवासियों को लखनादौन जाने के लिये सुगम रास्ता उपलब्ध होने से लखनादौन आने व जाने में सुगमता होगी.

सिवनी, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

क्र. 9740-एस.डब्लू-11.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 2 (द) (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी की गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर सिवनी जिले के थाना एवं पुलिस चौकियों की सूची अनुसार सीमा क्षेत्र में परिसीमन किया जाता है।

अजीत कुमार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

परिसीमन हेतु प्रस्ताव

स. क्र.	थाना का नाम	ग्रामों का नाम	ग्रामों की दूरी	ग्रामों को जिस थाना में सम्मिलित किया जाना है उस थाने का नाम	थाने से दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	कान्हीवाडा	डूंडा सिवनी	16 कि.मी.	चौंकी पलारी	03 कि.मी.
02	कान्हीवाडा	चामरमारा	13 कि.मी.	चौंकी पलारी	04 कि.मी.
03	कान्हीवाडा	रोशान	12 कि.मी.	चौंकी पलारी	5 कि.मी.
04	कान्हीवाडा	चन्दनवाडाकला	25 कि.मी.	चौंकी पलारी	6 कि.मी.
05	कान्हीवाडा	चन्दनवाडाखुर्द	12 कि.मी.	चौंकी पलारी	8 कि.मी.
06	कान्हीवाडा	डोकररांजी	15 कि.मी.	चौंकी पलारी	8 कि.मी.
07	कान्हीवाडा	खापाबाजार	21 कि.मी.	चौंकी पलारी	10 कि.मी.
08	कान्हीवाडा	डुंगरिया	27 कि.मी.	चौंकी पलारी	15 कि.मी.
09	कान्हीवाडा	कंजई	19 कि.मी.	चौंकी पलारी	13 कि.मी.
10	कान्हीवाडा	गोंडी हिनोतिया	19 कि.मी.	चौंकी पलारी	13 कि.मी.
11	थाना लखनवाडा	आमा झिरिया	12 कि.मी.	थाना सिवनी	05 कि.मी.
12	थाना लखनवाडा	पलारी	11 कि.मी.	थाना सिवनी	04 कि.मी.
13	थाना लखनवाडा	छिडिया	12 कि.मी.	थाना सिवनी	05 कि.मी.
14	थाना लखनवाडा	कोनियापार	05 कि.मी.	थाना सिवनी	03 कि.मी.
15	थाना लखनवाडा	सिमरिया एनटीपीसी	12 कि.मी.	थाना सिवनी	05 कि.मी.
16	थाना लखनवाडा	राघादेही	13 कि.मी.	थाना सिवनी	06 कि.मी.
17	थाना लखनवाडा	कोहका	12 कि.मी.	थाना सिवनी	05 कि.मी.
18	थाना लखनवाडा	रूंडाई	15 कि.मी.	थाना सिवनी	07 कि.मी.
19	थाना लखनवाडा	भूरकाल खापा	15 कि.मी.	थाना सिवनी	07 कि.मी.
20	थाना लखनवाडा	मठठाटोला	15 कि.मी.	थाना सिवनी	07 कि.मी.
21	थाना लखनवाडा	गहरानाला	13 कि.मी.	थाना सिवनी	06 कि.मी.
22	थाना लखनवाडा	बकौडी	30 कि.मी.	थाना अरी	20 कि.मी.
23	थाना लखनवाडा	नान्हीकन्हान	20 कि.मी.	थाना अरी	12 कि.मी.
24	थाना लखनवाडा	मेहराबोडी	22 कि.मी.	थाना अरी	14 कि.मी.
25	थाना कुरई	लामाज्योति	35 कि.मी.	थाना लखनवाडा	15 कि.मी.
26	थाना कुरई	आमगांव	30 कि.मी.	थाना लखनवाडा	20 कि.मी.
27	थाना कुरई	सारसडोल	31 कि.मी.	थाना लखनवाडा	20 कि.मी.
28	थाना कुरई	चिखली	33 कि.मी.	थाना लखनवाडा	22 कि.मी.
29	थाना कुरई	बडगांव	30 कि.मी.	थाना अरी	20 कि.मी.
30	थाना कुरई	बटामा	29 कि.मी.	थाना अरी	21 कि.मी.
31	थाना कुरई	लेंहगी	28 कि.मी.	थाना अरी	22 कि.मी.
32	थाना कुरई	मूण्डापार	30 कि.मी.	थाना अरी	12 कि.मी.
33	थाना कुरई	करकोटी	34 कि.मी.	थाना अरी	12 कि.मी.
34	थाना कुरई	केशरदिया	32 कि.मी.	थाना अरी	14 कि.मी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	थाना कुरई	बकरमपाठ	37 कि.मी.	थाना अरी	15 कि.मी.
36	थाना धूमा	सालीवाडा	24 कि.मी.	थाना लखनादौन	15 कि.मी.
37	थाना धूमा	जमकोना	26 कि.मी.	थाना लखनादौन	18 कि.मी.
38	थाना धूमा	खूबीरैयत	26 कि.मी.	थाना लखनादौन	19 कि.मी.
39	थाना धूमा	दबकिया	25 कि.मी.	थाना लखनादौन	16 कि.मी.
40	थाना धूमा	भानेरी	23 कि.मी.	थाना लखनादौन	17 कि.मी.
41	थाना किन्दरई	गाडाघाट	40 कि.मी.	थाना घंसौर	20 कि.मी.
42	थाना किन्दरई	बसुरिया	38 कि.मी.	थाना घंसौर	19 कि.मी.
43	थाना किन्दरई	मदनपुर	36 कि.मी.	थाना घंसौर	18 कि.मी.
44	थाना किन्दरई	सारंगपुर	36 कि.मी.	थाना घंसौर	18 कि.मी.
45	थाना किन्दरई	बीजासैन	40 कि.मी.	थाना घंसौर	23 कि.मी.
46	थाना किन्दरई	कुदवारी	38 कि.मी.	थाना घंसौर	21 कि.मी.
47	थाना किन्दरई	बगदरी	35 कि.मी.	थाना घंसौर	18 कि.मी.
48	थाना किन्दरई	बरदिया	32 कि.मी.	थाना घंसौर	17 कि.मी.
49	थाना किन्दरई	लेहडीकोल	30 कि.मी.	थाना घंसौर	18 कि.मी.
50	थाना किन्दरई	चमरवाहा	32 कि.मी.	थाना घंसौर	20 कि.मी.
51	थाना किन्दरई	जोबा	33 कि.मी.	थाना घंसौर	21 कि.मी.
52	थाना किन्दरई	सर्रा	35 कि.मी.	थाना घंसौर	22 कि.मी.
53	थाना किन्दरई	प्रतापगढ़	34 कि.मी.	थाना घंसौर	21 कि.मी.
54	थाना किन्दरई	बरगांव	25 कि.मी.	थाना घंसौर	15 कि.मी.
55	थाना किन्दरई	कुडोपार	18 कि.मी.	थाना घंसौर	10 कि.मी.
56	थाना किन्दरई	मूंडापार	20 कि.मी.	थाना घंसौर	12 कि.मी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. एस. सी.-2011-1618.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-342-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मैं, के. के. खरे, कलेक्टर, मण्डला वर्ष 2012 में मण्डला जिले के लिये निम्नांकित तिथियों को पूरे दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

क्रमांक (1)	दिन (2)	दिनांक (3)	स्थानीय अवकाश का नाम (4)
1	शुक्रवार	9-3-2012	होली (धुरेड़ी का दूसरा दिन)
2	सोमवार	22-10-2012	दुर्गाष्टमी (दशहरा)
3	बुधवार	14-11-2012	दीपावली का दूसरा दिन

उक्त अवकाश बैंकों, कोषालयों/उप कोषालयों के लिये लागू नहीं होंगे.

के. के. खरे, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्र. 5-व.लि.-2-2011-7015.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-32-1999-1-4, दिनांक 3 मार्च, 1999 के पालन में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, मैं, नीरज दुबे, कलेक्टर शहडोल, मध्यप्रदेश वर्ष 2012 के लिए निम्नानुसार दर्शायी गई तारीखों को पूरे दिन के लिये 03 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

क्रमांक (1)	जिला (2)	अवकाश का दिनांक (3)	दिन (4)	पर्व (5)
1	शहडोल	9 मार्च, 2012	शुक्रवार	होली का दूसरा दिन
		3 अगस्त, 2012	शुक्रवार	(कजलियाँ) रक्षाबंधन का दूसरा दिन
		15 नवम्बर, 2012	गुरुवार	गोवर्धन पूजा दीपावली का दूसरा दिन

नोट.—उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे।

नीरज दुबे, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश

मन्दासौर, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्र. 1472-सा.लेख-2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा-2 के खण्ड-एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियाँ मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2(4) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11-10-2004 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ 2(क)-09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है। उपरोक्तानुसार प्राधिकृत समिति के निर्णय दिनांक 22-12-2011 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-2 के खण्ड-एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्तंभ क्रमांक-1 में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक-2 में वर्णित पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए, स्तंभ क्रमांक-3 में वर्णित पुलिस थानों के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है :-

राजस्व ग्राम का नाम स्तंभ क्रमांक-1 (1)	वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार स्तंभ क्रमांक-2 (2)	थाना क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया गया स्तंभ क्रमांक-3 (3)
1. कोलवा	थाना वाय. डी. नगर मन्दासौर	थाना नाहरगढ़
2. पानपुर	थाना नाहरगढ़	थाना वाय. डी. नगर.

महेन्द्र ज्ञानी, जिला दण्डाधिकारी, एवं पदेन उपसचिव (गृह).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

क्र. 9661-स.अ.(का.)2011.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-6-2011-एक-4, भोपाल दिनांक 3 नवम्बर 2011 के द्वारा प्रदत्त शक्ति, का प्रयोग करते हुये मैं, गुलशन बामरा, कलेक्टर, जबलपुर वर्ष 2012 में जबलपुर जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ.

क्रमांक (1)	त्यौहार का नाम (2)	स्थानीय अवकाश की तारीख (3)	दिन (4)	रिमाक (5)
1	नर्मदा जयंती	30-1-2012	सोमवार	संपूर्ण जिला
2	दुर्गाष्टमी	22-10-2012	सोमवार	संपूर्ण जिला
3	दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा परंमा)	14-11-2012	बुधवार	संपूर्ण जिला

गुलशन बामरा, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 2063-भू-अर्जन-05-06.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर	बघेलान महुरछ कंदैला	0.160	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2, सतना (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना की महुरछ माइनर के नहर निर्माण में आने वाले ग्राम की निजी भूमि के लिए शेष भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्र. 2220-प्रका.-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	सोनौरा	0.0416	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 2222 प्रका.-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बरा-396	0.072	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी के टिकुरी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

रीवा, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्र. 2238-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	रघुराजगढ़	7.728	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2240-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	पुरैना	4.608	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर प्रणाली का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2242-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	नैकिन	3.504	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर प्रणाली का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2244-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कचुर्लिया	पहड़िया	6.768	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर प्रणाली का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2246-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	गहरी मुरवार	3.200	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर क्र. 1 का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2248-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बंजारी	7.616	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर क्र. 1 का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2250-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	कौवादान	3.616	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिंगवा वितरक नहर क्र. 1 का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2252-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	पहाउ	4.640	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत तिवरिंगवा वितरक नहर क्र. 1 का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्र. 2271-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	सगौनी	0.20	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र 2, सतना.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2273-प्रका-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	टिकुरी 225	0.154	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी के टिकुरी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 2275-प्रका.-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) से उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	इटौरा	0.565	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योटी नहर की बोदा डिस्ट्रीब्यूटरी एवं टिकुरी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

रीवा, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

क्र. 2290-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	ग्राम लभौली	1.5	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	क्योटी नहर प्रणाली की मुड़ियारी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 3 जनवरी 2012

क्र. 1-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पल्हान	0.318	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	सिरमौर वितरक नहर के शाहपुर माइनर के अन्तर्गत शाहपुर सब माइनर 0.318 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बदरांव गौतमान	0.085	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	सिरमौर वितरक नहर के महीरी माइनर नहर 0.085 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	उमरी कोठार	1.551	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	सिरमौर वितरक नहर के शाहपुर माइनर के अन्तर्गत शाहपुर सब माइनर 1.551 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	गहनौआ	0.040	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.)	सिरमौर वितरक नहर की गहनौआ माइनर नहर 0.040 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 9-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) पाली 302	(4) 0.216	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) सिरमौर वितरक नहर की शाहपुर माइनर के अंतर्गत 0.216 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) जामू 177	(4) 2.504	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) सिरमौर वितरक नहर की शाहपुर माइनर के अंतर्गत 2.504 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) ग्राम सपहा	(4) 0.080	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	चौरा 163	0.250	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली सिरमौर वितरक नहर में मुड़ियारी माइनर के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	ग्राम सेमरा 557	0.300	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली सिरमौर वितरक नहर में मुड़ियारी माइनर के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 19-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	ग्राम खैर	0.080	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर में मुड़ियारी सब माइनर नं. 1 के अंतर्गत भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 21-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पड़री पवाई	0.860	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरित नहर के मरैला माइनर एवं सब माइनरों के लिये 0.860 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सब्बुआ	निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सब्बुआ जलाशय की नहर निर्माण कार्य व शेष डूब क्षेत्र.
			6.83 0.11 <u>6.94</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 002-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	भापतपुर कुर्मियान	निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सब्बुआ जलाशय की नहर निर्माण कार्य व शेष डूब क्षेत्र.
			0.50 0.00 <u>0.50</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 003-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	कल्याणपुरा	निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बरौंहा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.
			0.75 0.50 <u>1.25</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 004-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	रामपुर	निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल . . .	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बरौंहा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.
			0.45 0.40 0.85		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 005-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	बरौंहा	निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल . . .	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बरौंहा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.
			0.85 0.12 0.97		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 006-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	हरदुआ सारसबाहु	निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा कुल . . .	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	हरदुआ सारसबाहु तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल का निर्माण कार्य.
			2.00 3.00 5.00		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 007-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	डोभा बघनरवा	निजी भूमि 1.30 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.50 कुल . . . 1.80	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बघनरवा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 008-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	रैपुरा	निजी भूमि 2.30 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.70 कुल . . . 3.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	कोहाडोल तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 009-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	बघवार कला	निजी भूमि 2.05 एवं शासकीय भूमि रकबा 5.70 कुल . . . 7.75	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	खोरा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 010-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	बधवारखुर्द	निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.30 कुल . . . 3.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	खोरा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 011-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	पडरेही	निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.30 कुल . . . 2.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पटी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 012-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	अधराड	निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.20 कुल . . . 2.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पटी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 013-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	पटीखेडा	निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.20 कुल . . . 2.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पटी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 014-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	माधवपुरा	निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.20 कुल . . . 2.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पटी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 015-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	नरदहा	निजी भूमि एवं शासकीय भूमि रकबा 0.18 कुल . . . 4.28	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बहरी तालाब योजना अंतर्गत बहरी जलाशय का नहर निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 016-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	भितरी मुटमुरू	निजी भूमि 105.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 18.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भितरी मुटमुरू तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण, डूब क्षेत्र, एप्रोच एवं स्पिल चैनल, वेस्ट वियर एवं नहर निर्माण कार्य.
			कुल . . .		
			123.00		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 017-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	कोटा	निजी भूमि 0.50 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	भितरी मुटमुरू तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, वण्ड लाईन, बेस्टवियर एवं नहर निर्माण कार्य.
			कुल . . .		
			1.00		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 6-अ 82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	भैरोबाग	15.464	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा, जिला-विदिशा.	संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		कुल योग . .	<u>15.464</u>		

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नटेरन जिला विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	मूंडरा	10.659	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंज बासौदा, जिला-विदिशा.	संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
		शेरपुर			
		कुल योग . . .	<u>10.659</u>		

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा, जिला विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्र. 145-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	जीरापुर	बावड़ीखेड़ा	20.709	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राजगढ़.	बावड़ीखेड़ा तालाब की नहर निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
कुल योग : <u>20.709</u>					

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 5 जनवरी 2012

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन का	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	नेपानगर	नावरा	1.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.	रेहमानपुरा तालाब योजना के अतिशेष भूमि ग्राम नावरा का भू-अर्जन.

अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नेपानगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 6-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—शमशाबाद
- (ग) ग्राम—बेरखेड़ी अहीर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.728 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.173
57	0.140
58	0.157
61/3	0.092
61/4	0.097
61/5	0.124
61/6	0.049
23/1	0.113
23/2	0.092
23/4/1	0.108
25	0.178
35	0.059
34	0.200
36	0.146
योग . .	<u>1.728</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा/शमशाबाद /गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—नटेरन
- (ग) ग्राम—चम्पाखेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.831 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
07	0.151
92	0.057
86	0.266
28	0.040
23	0.015
32	0.362
9/1	0.201
9/2	0.209
9/3 मि	0.100
9/3 मि	0.080
9/4	0.400
18/1	0.160
18/2/2 मि.	0.200
18/2/3	0.300
55/2	0.180
87/2	0.014
47/3	0.216
46/2 मि.	0.112
54/3	0.309

(1)	(2)
25	0.200
88	0.122
93	0.072
27	0.065
	योग . . . 3.831

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद /गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्रि, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 30-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—नटेरन
(ग) ग्राम—नानकपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.743 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
64/1	0.100
64/2	0.110
64/3/1/1	0.069
64/3/1/2	0.140
68/2	0.090
66	0.140
72	0.180
73	0.270
76	0.180
78	0.010
85	0.340

(1)	(2)
77	0.170
84	0.209
83/2	0.936
89/3	0.209
88/1	0.165
88/2	0.165
91/12	0.150
59/2	0.260
53/1	0.260
55/2	0.045
53/2/1	0.040
16	0.050
52/1/1	0.150
51/1	0.025
51/2/2	0.025
61	0.026
59/1	0.126
52/2	0.021
64/3/2	0.087
	योग . . . 4.743

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद /गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्रि, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 4 जनवरी 2012

प्र. क्र. 3-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद

(ग) ग्राम—गोलना		(ग) ग्राम—गनपतपुरा		
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.956 हेक्टेयर.		(घ) कुल लगभग—3.16 हेक्टेयर.		
सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)
231	1.513	410	1.13	0.24
226/4/2	0.051	404	0.07	0.02
226/4/2	0.785	403	0.51	0.09
226/5	2.199	402	0.51	0.08
215/3	0.518	396	0.76	0.09
214/3	0.890	399	0.37	0.03
	योग . . . 5.956	397	0.38	0.05
		388	0.17	0.10
		389	0.16	0.06
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना की माइनर एवं डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण हेतु.		385	0.78	0.15
		383	2.09	0.22
		382	1.04	0.13
		381	0.60	0.13
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद /गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.		322	0.56	0.11
		323	0.56	0.03
		321	0.72	0.13
		320	0.75	0.13
		319	0.28	0.08
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		317	0.56	0.07
		315	0.29	0.08
		318	0.56	0.01
		316	0.56	0.13
		294	0.58	0.08
		295	0.36	0.01
		293	1.15	0.29
		292	0.38	0.11
		291	0.64	0.16
		278	1.02	0.18
		279	1.02	0.05
		97	0.90	0.12
				कुल योग : 3.16
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर की गनपतपुरा शाखा नहर निर्माण हेतु ग्राम गनपतपुरा की भूमि का अर्जन.		
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.		
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 31-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)
	192	0.88
	193	0.22
सागर, दिनांक 24 दिसम्बर 2011	195	1.55
	179/2	0.69
क्र. भू-अर्जन-11-10531.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	180/1	0.28
	180/2	0.28
	180/3	0.28
	180/4	0.28
	181/1	0.64
	181/2	0.64
	196/1	0.15
	196/1	1.98
	196/3	2.35
	197/1	0.56
	197/2	0.19
	198	2.44
	199	2.74
	200	0.81
	203/2	0.20
	203/3	0.50
	203/4	0.30
	203/5	0.91
	289	1.84
	290	0.64
		योग . . 35.65

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—सागर

(ग) ग्राम—बिजौरा, प.ह.नं. 180, ग्राम परासिया
प.ह.नं. 181

(घ) लगभग क्षेत्रफल—35.65 हेक्टेयर.

खसरा नं. में से अर्जित रकबा
(हेक्टर में)

(1)	(2)
174/1	0.40
174/2	0.40
175/1	0.75
175/2	1.57
176/1	1.63
176/2	1.62
179/1	0.70
183/1	0.01
183/2	0.01
185/1	0.54
185/2	0.54
186/1	0.38
186/2	0.38
187	0.63
188/1	0.40
188/2	0.05
188/3	0.40
189	1.83
190	1.03
190	1.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता
है—कंजेली जलाशय योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग क्र. 1 सागर, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सागर
के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्र.क-प्र. भू-अर्जन-1 अ-82-वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के
खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,
1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि का अर्जन
(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर

- (ग) ग्राम—भैंसा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.370 हेक्टेयर.

खसरा नं. में से	अर्जित रकबा (हेक्टेर में)
(1)	(2)
74	0.110
75	0.070
76	0.070
79	0.400
80	0.400
272	0.370
273	0.600
274	0.850
275	0.870
276	0.800
277	0.270
278	0.560
	योग . . 5.370

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये यू.आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत एस.टी.पी. (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता है. आयुक्त नगर निगम सागर (म. प्र.).
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्र. 2236-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत,

इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—ब्यौहारी
(ग) ग्राम—गरियारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.00 एकड़.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
337	1.00
योग . .	1.00

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

पत्र क्र. क-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—जबेरा

- (ग) नगर/ग्राम—हिन्नौता ढेंगापटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.72 हेक्टेयर.

है. प्रकाशित प्रविष्टियों को संशोधित कर निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)	सर्वे नम्बर	अनुसूची	
			पूर्व प्रकाशित (2)	संशोधित प्रकाशन (3)
103 में से	0.08	(1)		
104 में से	0.12			
105 में से	0.16	569	0.08	0.10
115/1 में से	0.15	570	0.18	0.18
108 में से	0.08	571	0.10	0.10
111 में से	0.06	611	0.16	0.08
112 में से	0.04	613	0.27	0.28
113 में से	0.03	615	0.20	0.24
	योग . . . 0.72	766	0.02	विलोपित
		767	0.04	0.02
		769	0.03	0.02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बांदकपुर नोहटा मार्ग पर 9/2 कि.मी. पर उच्चस्तरीय पुल हेतु.		770	0.04	0.02
		782	0.09	0.03
		783	0.02	विलोपित
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, दमोह एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण विभाग संभाग सागर (म.प्र.) में किया जा सकता है.		785	0.01	विलोपित
		786	0.01	विलोपित
		787	0.07	0.05
		808	0.01	विलोपित
		809	0.02	विलोपित
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		810	0.02	विलोपित
		811	0.01	विलोपित
		812	0.03	विलोपित
		816	0.04	विलोपित
		818	0.02	विलोपित
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		819/1	0.01	विलोपित
		819/2	0.03	विलोपित
		902	0.06	विलोपित
		903	0.05	विलोपित
झाबुआ, दिनांक 27 दिसम्बर 2011		904	0.04	विलोपित
		905	0.01	विलोपित
क्र. 4807-भू-अर्जन-2011-माही-रा.प्र.क्र. 21-अ-82-2010-11.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1343-भू-अर्जन-2010-संशोधित-झाबुआ, दिनांक 3 मई 2011 द्वारा ग्राम-टेमरिया, तहसील-पेटलावद, जिला-झाबुआ का रकबा 2.33 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 1765, दिनांक 20 मई 2011 पर तथा हिन्दी समाचार पत्रों स्वदेश में दिनांक 13 मई 2011 तथा प्रसारण में दिनांक 15 मई 2011 प्रकाशन, जी-नम्बर 13013/11 द्वारा प्रकाशित की गई		916	0.12	विलोपित
		917	0.10	0.07
		921	0.19	0.15
		1550	0.12	विलोपित
		1568/3	0.13	0.16
		780	-	0.01
		781	-	0.04
		788	-	0.03
		789	-	0.04

(1)	(2)	(3)	अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
790	-	0.01		
791	-	0.16		
814	-	0.01		
768	-	0.07	अनुसूची	
815	-	0.03	(1) भूमि का वर्णन—	
824	-	0.02	(क) जिला—अलीराजपुर	
825	-	0.01	(ख) तहसील—जोबट	
826	-	0.03	(ग) ग्राम—छोटाईटारा	
827	-	0.01	(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.40 हेक्टेयर.	
828	-	0.01		
830	-	0.04		
831	-	0.01	सर्वे नंबर	रकबा
835	-	0.03		(हेक्टर में)
836	-	0.08	(1)	(2)
837	-	0.01	74	पेकी 0.10
842	-	0.01	75	पेकी 0.10
898	-	0.01	126	पेकी 0.83
899	-	0.06	90	पेकी 0.17
900	-	0.01	94	पेकी 0.02
901	-	0.08	95	0.08
906	-	0.04	96	0.07
907	-	0.04	89	पेकी 0.31
908	-	0.06	118	0.50
909	-	0.04	86/1	पेकी 0.68
1543	-	0.18	97	पेकी 0.13
1545	-	0.02	122/1	पेकी 0.93
1568/2	-	0.24	124	पेकी 0.11
1586/4	-	0.22	106	पेकी 0.14
योग . .	2.33	3.16	108	पेकी 0.20
			111	0.71
			110	पेकी 0.43
			113	पेकी 0.44
			125	पेकी 0.45
			166	0.36
			167	0.18
			112	पेकी 0.10
			99	पेकी 0.27
			98	पेकी 0.18
			109	0.85
			130	पेकी 0.28
			132	पेकी 0.37
			133	पेकी 0.08
			129	पेकी 0.60
			127	0.85

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्र. 1466-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 2-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-

(1)	(2)	(1)	(2)
169	0.28	249/1	पेकी 0.03
170	0.36	249/2	पेकी 0.02
86/2	0.45	248	पेकी 0.05
117	पेकी 0.71	260	पेकी 0.04
119/1	0.20	288	पेकी 0.02
119/2	0.57	261	पेकी 0.04
122/2	0.20	242	पेकी 0.07
172	पेकी 0.06	243	पेकी 0.05
177	पेकी 0.04	263	पेकी 0.01
178	पेकी 0.05	264	पेकी 0.03
176	पेकी 0.06	265	पेकी 0.06
196	पेकी 0.12	266	पेकी 0.05
200	पेकी 0.03	267	पेकी 0.02
354	पेकी 0.11	212	पेकी 0.04
360	पेकी 0.02	293	पेकी 0.02
187	पेकी 0.02	339	पेकी 0.05
193	पेकी 0.08	292/1	पेकी 0.07
198	पेकी 0.02	292/2	पेकी 0.04
359	पेकी 0.11	290/3	पेकी 0.06
341	पेकी 0.08	292/3	पेकी 0.07
201/2	पेकी 0.02	289	पेकी 0.11
378/1	पेकी 0.02	355	पेकी 0.02
199/2	पेकी 0.05	356	पेकी 0.01
380/4	पेकी 0.04	213	पेकी 0.02
203	पेकी 0.06	335/2	पेकी 0.04
499	पेकी 0.03	336	पेकी 0.05
501	पेकी 0.04	337	पेकी 0.03
516	पेकी 0.10	376	पेकी 0.07
517	पेकी 0.02	330	पेकी 0.03
210/2	पेकी 0.13	352	पेकी 0.01
217	पेकी 0.05	353	पेकी 0.05
519	पेकी 0.05	291	पेकी 0.09
219	पेकी 0.06	364	पेकी 0.01
221	पेकी 0.04	363	पेकी 0.05
396	पेकी 0.03	370	पेकी 0.04
417	पेकी 0.04	361	पेकी 0.08
220	पेकी 0.07	380/1	पेकी 0.02
426	पेकी 0.04	379/1	पेकी 0.01
234	पेकी 0.11	410/2/3	पेकी 0.04
493	पेकी 0.05	395	पेकी 0.03
233/1	पेकी 0.01	428	पेकी 0.01
335/1	पेकी 0.04	415	पेकी 0.02
329	पेकी 0.02	417	पेकी 0.04
250	पेकी 0.06	410/2/4	पेकी 0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
408	पेकी 0.02	166	0.30
407	पेकी 0.04	159	पेकी 0.01
402	पेकी 0.07	162	0.44
495	पेकी 0.08	163	पेकी 0.23
503	पेकी 0.01	164	पेकी 0.19
505	पेकी 0.11	175	पेकी 0.24
520	पेकी 0.01	165	पेकी 0.28
547	पेकी 0.02	172	पेकी 0.24
554	पेकी 0.07	167	0.11
कुल योग . .	<u>17.40</u>	168	0.13
		180	पेकी 0.14
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—छोटाईटारा सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य से प्रभावित होने से.		173	पेकी 0.09
		182	पेकी 0.68
		183	पेकी 0.53
		185	पेकी 0.14
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		230	पेकी 0.23
		403	पेकी 0.37
		186	पेकी 0.15
		231	पेकी 0.18
		404	पेकी 1.21
		232	पेकी 0.07
क्र. 1462-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 3-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		169	0.37
		171	पेकी 0.46
		407/1	पेकी 0.60
		407/2	पेकी 0.28
		409	पेकी 0.20
		411	पेकी 0.48
		412	पेकी 0.04
		414	पेकी 0.82
		415	पेकी 0.16
		434	पेकी 0.35
		398	पैकी 0.02
		437	पेकी 0.35
		447	0.22
		401	पेकी 0.15
		405	0.55
		438	0.33
		439	0.62
		440	0.23
		441	1.01
		442	0.54
		443	0.24
		444	0.43
		445	पेकी 0.12
सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
105	पेकी 1.23		
107	पेकी 0.35		
150/2	पेकी 0.02		
152	पेकी 0.15		
158	पेकी 1.16		

(1)	(2)	(1)	(2)
449	पेकी 0.44	606	पेकी 0.22
433	पेकी 0.17	607/1	पेकी 0.15
446	पेकी 0.31	607/2	पेकी 0.05
448	पेकी 0.34	546	पेकी 0.34
452	पेकी 1.55	605	0.47
कुल योग . .	<u>20.25</u>	572/3	0.28
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—छोटाईटारा सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित होने से.		573	पेकी 0.05
		593/1/3	0.27
		572/2	पेकी 0.49
		593/1/1	पेकी 0.03
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		593/1/4	0.25
		कुल योग . .	<u>4.26</u>
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—छोटाईटारा सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित होने से.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	

क्र. 1464-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 4-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—जोबट
(ग) ग्राम—टेमाची
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.26 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
542	पेकी 0.65
547	पेकी 0.03
570	पेकी 0.30
572/1	पेकी 0.08
572/4	0.30
593/1/2	पेकी 0.20
576/3	पेकी 0.03
577	पेकी 0.07

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 089-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज

- (ग) ग्राम—पगरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.98 हेक्टेयर.

के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	अनुसूची
(1)	(2)	(3)	(1) भूमि का वर्णन—
1348	0.04	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना
1347	0.03	निजी भूमि	(ख) तहसील—अमानगंज
1340	0.02	निजी भूमि	(ग) ग्राम—सिंधौरा
2309	0.02	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.157 हेक्टेयर.
1339	0.04	निजी भूमि	
2401	0.08	निजी भूमि	
2802	0.02	निजी भूमि	
2779	0.04	निजी भूमि	
2780	0.04	निजी भूमि	
2781	0.12	निजी भूमि	
2796	0.02	निजी भूमि	
2794	0.02	निजी भूमि	
2745	0.04	निजी भूमि	
2801/2	0.02	निजी भूमि	
2816	0.02	निजी भूमि	
2765/2	0.01	निजी भूमि	
2817	0.01	निजी भूमि	
2942	0.04	निजी भूमि	
2931	0.09	निजी भूमि	
2942/2	0.04	निजी भूमि	
3940/2	0.03	निजी भूमि	
2940/1	0.03	निजी भूमि	
2934/1	0.02	निजी भूमि	
2934/2	0.02	निजी भूमि	
2933	0.04	निजी भूमि	
2910	0.04	निजी भूमि	
2909	0.04	निजी भूमि	
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.98		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पगरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल निर्माण कार्य निर्माण हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.			
प्र. क्र. 120-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
215/1	0.038		464/1	0.130	निजी भूमि
218/1	0.028		464/2	0.130	निजी भूमि
219/1	0.038		481	0.003	निजी भूमि
220/1	0.031		482	0.155	निजी भूमि
225	0.066		483	0.126	निजी भूमि
230/1	0.049		484	0.016	निजी भूमि
556	0.058		486	0.260	निजी भूमि
560	0.029		487	0.340	निजी भूमि
565/1	0.083		488	0.350	निजी भूमि
565/2	0.083		489	0.050	निजी भूमि
150/936	0.054		490	0.310	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>2.157</u>		491	0.470	निजी भूमि
			492	1.220	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिढ़ासन			493	0.880	निजी भूमि
व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना			494	0.300	निजी भूमि
अन्तर्गत नहर निर्माण, कार्य निर्माण हेतु.			495	0.080	निजी भूमि
			496	0.016	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय			497	0.250	निजी भूमि
पन्ना में किया जा सकता है.			498	0.090	निजी भूमि
			499	0.150	निजी भूमि
प्र. क्र. 131-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को			500	0.140	निजी भूमि
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित			501	0.240	निजी भूमि
भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन			502	0.180	निजी भूमि
के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894			503	0.160	निजी भूमि
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया			504	0.100	निजी भूमि
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			511/1	3.500	निजी भूमि
			511/2	1.480	निजी भूमि
			516	0.070	निजी भूमि
			518	3.560	निजी भूमि
			523/1	0.400	निजी भूमि
			523/2	0.370	निजी भूमि
			कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>16.702</u>	
			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिढ़ासन		
			व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना		
			अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.		
			(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय		
			पन्ना में किया जा सकता है.		
			प्र. क्र. 142-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को		
			यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित		
			भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन		
			के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—मेहदवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.702 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
92	0.005	निजी भूमि
94	0.620	निजी भूमि
460/1	0.030	निजी भूमि
460/2	0.181	निजी भूमि
460/3	0.180	निजी भूमि
461	0.160	निजी भूमि

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—भड़ार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.556 हेक्टेयर.

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—पिपरवाह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.008 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)	खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
311	0.099	निजी भूमि	499	0.143	निजी भूमि
306	0.048	निजी भूमि	491	0.335	निजी भूमि
307	0.026	निजी भूमि	490	0.022	निजी भूमि
205	0.047	निजी भूमि	512/1	0.028	निजी भूमि
308	0.002	निजी भूमि	512/2	0.028	निजी भूमि
294	0.097	निजी भूमि	512/3	0.028	निजी भूमि
174	0.255	निजी भूमि	514/1क	0.133	निजी भूमि
175	0.006	निजी भूमि	514/1ख	0.133	निजी भूमि
166/1	0.277	निजी भूमि	514/2	0.134	निजी भूमि
166/2	0.277	निजी भूमि	520	0.137	निजी भूमि
165	0.009	निजी भूमि	521	0.114	निजी भूमि
150	0.028	निजी भूमि	522	0.093	निजी भूमि
149	0.005	निजी भूमि	529	0.006	निजी भूमि
138/1	0.026	निजी भूमि	526	0.012	निजी भूमि
138/2	0.027	निजी भूमि	661	0.125	निजी भूमि
136	0.012	निजी भूमि	660	0.040	निजी भूमि
137	0.047	निजी भूमि	656/1	0.069	निजी भूमि
148	0.268	निजी भूमि	656/2क	0.062	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.556		656/2ख	0.040	निजी भूमि
			658	0.175	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—जसवंतपुरा			652	0.067	निजी भूमि
जलाशय योजना के अन्तर्गत जसवंतपुरा जलाशय योजना			650	0.040	निजी भूमि
अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.			649/1	0.015	निजी भूमि
			649/2	0.014	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय			700	0.138	निजी भूमि
पन्ना में किया जा सकता है.			498	0.002	निजी भूमि
			657	0.170	निजी भूमि
प्र. क्र. 145-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूँकि, राज्य शासन को			702/1	0.076	निजी भूमि
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित			702/2	0.076	निजी भूमि
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन			703	0.299	निजी भूमि
के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894			704	0.146	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—तमगढ़	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.557 हेक्टेयर.		
			खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	
			(1)	(2)	(3)	
707	0.056	निजी भूमि				
706	0.089	निजी भूमि				
790	0.145	निजी भूमि				
787/1	0.021	निजी भूमि				
787/2	0.021	निजी भूमि				
786	0.224	निजी भूमि	85	0.729	निजी भूमि	
777/1	0.033	निजी भूमि	86	0.351	निजी भूमि	
777/2	0.033	निजी भूमि	92	0.021	निजी भूमि	
777/3	0.033	निजी भूमि	487	0.036	निजी भूमि	
777/4	0.033	निजी भूमि	489	0.016	निजी भूमि	
651	0.108	निजी भूमि	491	0.333	निजी भूमि	
525	0.230	निजी भूमि	590	0.017	निजी भूमि	
847/1	0.013	निजी भूमि	592	0.095	निजी भूमि	
847/2	0.013	निजी भूमि	593	0.024	निजी भूमि	
815	0.067	निजी भूमि	594	0.070	निजी भूमि	
845/1	0.125	निजी भूमि	595	0.018	निजी भूमि	
845/2	0.125	निजी भूमि	596	0.033	निजी भूमि	
845/3	0.124	निजी भूमि	597	0.034	निजी भूमि	
840	0.034	निजी भूमि	599	0.180	निजी भूमि	
841	0.272	निजी भूमि	602	0.144	निजी भूमि	
836	0.165	निजी भूमि	603	0.086	निजी भूमि	
837	0.010	निजी भूमि	604	0.036	निजी भूमि	
868	0.134	निजी भूमि	605	0.344	निजी भूमि	
कुल रकबा निजी भूमि . .	5.008		606	0.021	निजी भूमि	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—			609	0.140	निजी भूमि	
जसवंतपुरा जलाशय सिंचाई योजना के अन्तर्गत जसवंतपुरा			620	0.300	निजी भूमि	
जलाशय सिंचाई योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य			621	0.029	निजी भूमि	
निर्माण हेतु.			622	0.018	निजी भूमि	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय			623	0.093	निजी भूमि	
पन्ना में किया जा सकता है.			628	0.086	निजी भूमि	
प्र. क्र. 146-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को			642	0.012	निजी भूमि	
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित			645	0.008	निजी भूमि	
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन			643	0.020	निजी भूमि	
के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894			644	0.239	निजी भूमि	
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया			646	0.024	निजी भूमि	
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			कुल रकबा निजी भूमि . .	3.557		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—
जसवंतपुरा जलाशय योजना के अन्तर्गत जसवंतपुरा जलाशय
योजना अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 197-अ-82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—नचने
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.018 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
191	0.508	निजी भूमि
192	0.010	निजी भूमि
194	0.265	निजी भूमि
195/1	0.171	निजी भूमि
195/2	0.171	निजी भूमि
201	0.190	निजी भूमि
210/1	0.100	निजी भूमि
214	0.403	निजी भूमि
203/1	0.100	निजी भूमि
204/1	0.100	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>2.018</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण, डूब क्षेत्र, स्पिल चैनल का निर्माण कार्य एवं नहर निर्माण कार्य हेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

क्र. 1757(1)-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
(ख) तहसील—देवसर
(ग) पटवारी हल्का—निगरी
(घ) ग्राम का नाम—निगरी
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—47.089 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल रकबा	भू-अर्जन हेतु आवेदित क्षेत्र (हे. में)
(1)	(2)	(3)
3/2	2.428	2.428
3/5	1.618	1.618
3/6	1.618	1.618
3/7	1.375	1.375
3/8	1.075	1.075
3/9	1.618	1.618
3/10	1.810	1.810
3/11	1.618	1.618
4	0.206	0.206
4	0.100	0.100
4	0.105	0.105
5/1	0.092	0.092
5/2	0.074	0.074
6	0.332	0.332
7	1.052	0.300
8	0.259	0.259
9	0.081	0.081
10	1.177	0.500

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
11	1.642	0.840	190/10	0.135	0.135
13/1	0.083	0.083	190/10	0.135	0.135
14-15	0.836	0.631	190/17	2.023	0.809
14-15	0.556	0.556	191	0.121	0.121
14-15	0.200	0.200	192	0.097	0.097
16	0.393	0.140	193	0.049	0.049
18	1.295	0.900	194	0.150	0.100
19	0.117	0.006	196	0.328	0.200
20/1	0.846	0.360		58.953	47.089
20/2	0.846	0.360			
21	1.260	1.260	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—1320 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना के सह प्रयोजन बैराज निर्माण में डूब प्रभावित भूमि.	
22	0.611	0.611	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
23/1	2.428	2.428		क्र. 1758(1)-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	
23/3	0.492	0.492		अनुसूची	
23/4	0.202	0.202	(1)	भूमि का वर्णन—	
23/5	2.981	2.981	(क)	जिला—सिंगरौली	
23/6	2.805	2.805	(ख)	तहसील—देवसर	
23/7	1.332	1.332	(ग)	पटवारी हल्का—कटई	
23/8	1.619	1.619	(घ)	ग्राम का नाम—कटई	
23/9	0.416	0.416	(ङ)	लगभग क्षेत्रफल—18.47 हेक्टेयर.	
23/10	0.500	0.500			
24	0.870	0.870			
24	0.217	0.217			
24	0.217	0.217			
122/4	1.898	1.898			
122/5	0.809	0.809			
122/5	0.809	0.809			
122/11	0.346	0.346			
175/1	1.834	0.004			
178	1.321	0.005			
179/1	0.896	0.021			
179/2	0.179	0.179			
181	0.071	0.071			
182	0.049	0.049			
183/2	0.390	0.020			
184/1	0.252	0.252			
184/2	0.405	0.405			
184/3	0.405	0.405			
184/4	0.809	0.809			
184/7	1.677	1.677			
190/2	0.214	0.214			
190/3	1.991	0.600			
190/8	2.023	1.500			
190/10	0.135	0.135			

खसरा नम्बर	कुल रकबा	भू-अर्जन हेतु आवेदित क्षेत्र (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
4	0.14	0.14
6	0.37	0.37
7	0.06	0.06
8	0.03	0.03
9	0.49	0.45
10	0.49	0.24
11	0.37	0.24
12	0.13	0.04

(1)	(2)	(3)
13	0.13	0.05
14	0.17	0.17
19	0.09	0.09
20	0.87	0.67
21	0.83	0.08
22/1	0.38	0.13
22/2	0.38	0.13
22/3	0.39	0.14
34	0.81	0.40
35	0.34	0.34
36	0.35	0.24
37	0.31	0.31
39	0.05	0.05
40	0.15	0.15
44	1.32	1.32
46	0.30	0.24
48	2.02	0.20
150	1.12	0.04
151	0.95	0.35
152	0.81	0.04
153	0.47	0.10
154	0.12	0.12
155	2.44	2.11
157	1.91	0.84
158	0.37	0.20
159	0.81	0.10
160	0.81	0.38
161	0.32	0.32
162	0.81	0.22
163	0.85	0.42
164	0.81	0.25
248	0.32	0.11
252	0.04	0.04
255	0.25	0.25
267/1	0.11	0.05
267/2	0.11	0.05
267/3	0.22	0.11
268	0.36	0.10
270	0.81	0.08
271	1.04	0.41
272	3.24	1.25
273	0.81	0.10
369	1.19	1.19
370	0.11	0.11
374	1.13	1.06
385	0.53	0.09
386	0.88	0.05
387	0.58	0.03

(1)	(2)	(3)
567/1	0.35	0.35
567/2	0.20	0.20
565	0.81	0.16
454	0.62	0.41
453	0.81	0.50
योग . .		18.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—1320 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना के सह प्रयोजन बैराज निर्माण में डूब प्रभावित भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1759(1)-भू-अर्जन-2011.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
 (ख) तहसील—देवसर
 (ग) पटवारी हल्का—निगरी
 (घ) ग्राम का नाम—निगरी
 (ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.259 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा	भू-अर्जन हेतु आवेदित क्षेत्र (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
14-15 मी.	0.836	0.205
1315 मी.	0.083	0.083
340/1855	0.971	0.971
योग . .		1.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—1320 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

क्र. 1855-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—पिपलुद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.564 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1	0.445
2	0.049
5	0.400
6	0.085
13	0.270
22/1	0.320
22/2	0.303
23	0.510
24	0.214
29/1	0.010
29/2	0.486
29/3	0.140
30/2	0.506
30/3	0.030
30/4	0.100
31	0.010
32	0.737
33/2	0.065
36/2	0.050
36/3	0.300

(1)	(2)
36/4	0.504
131/1	0.005
131/2	0.605
131/3/2	0.225
131/3/4	1.645
133/1	0.200
133/2	0.010
134/1	0.010
134/3	0.330
योग.	8.564

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मंडलेश्वर, के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1856-भू-अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—धनपाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.917 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/2/1	0.020
1/2/2	0.250
1/2/3	0.150
1/3	0.784
1/4	0.060

(1)	(2)
2/1	0.202
2/2	0.565
2/3	0.500
2/4	0.130
2/5	0.200
3	0.060
4/1	0.575
8/1	0.560
8/2/1	0.170
9/2	0.010
9/3	0.375
9/4	0.230
9/5	0.076
योग .	<u>4.917</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मंडलेश्वर, के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1857-भू-अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—पिपलझर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.340 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
227/3, 228/3	1.340
योग .	<u>1.340</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मंडलेश्वर, के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1858-भू-अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—पलास्या न. जेठवाय
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.877 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
17	0.040
18	0.475
19	0.035
31/1	0.710
31/2	1.180
32	0.035
33	2.085
34/3	0.060
34/6	0.160
39	0.340
40/1	1.421
40/2	0.080
41/1	0.060
70/1	0.850
70/2	0.120
71/1	0.320
71/2	0.365

(1)	(2)	(ग) ग्राम—टेमला	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.355 हे.
71/3	0.335		
72	1.040		
73/1	0.390	खसरा नंबर	रकबा
73/2	0.102		(हे. में)
78/4, 74	0.632	(1)	(2)
75/2	0.180	90	0.030
75/3	0.040	92	0.065
75/4	0.235	93	0.310
75/5	0.360	98/2	0.005
75/6	0.015	189	0.105
75/7	0.202	192/3	0.705
78/2, 79/2, 85/1	0.362	193	0.135
78/3, 85/2	1.202	194/2	0.645
78/6	0.445	194/3	0.610
84	0.015	194/5	0.680
86/1	0.670	195/2	0.065
86/2	0.331		
87/1	0.435		
87/2	0.070		
89	0.480		
	योग. .		3.355
	15.877		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मंडलेश्वर, के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1859-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—बड़वाह

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मंडलेश्वर, के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 554-प्र.क्र. 11-अ-82-2010-11-7128.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त

भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

शहडोल, दिनांक 4 जनवरी 2012

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—सोहागपुर
(ग) ग्राम—केलमनियां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.251 हेक्टर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
7/1 ख	0.069
7/1 ग	0.069
8	0.177
9/1	0.069
13	0.041
14/2	0.069
14/3	0.121
14/4	0.028
19/1	0.109
20	0.089
21/3	0.149
22/2	0.121
21/4	0.149
22/3/3	0.109
23	0.081
24	0.028
25/2	0.041
31/1	0.069
32	0.069
33	0.169
34	0.121
35/1	0.081
35/2	0.081
41	0.041
42/2	0.101
कुल योग . .	<u>2.251</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बंधवा जलाशय योजना की दायीं मुख्य नहर में प्रभावित ग्राम केलमनियां की 2.251 हे. निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 543-प्र.क्र. 16-अ-82-2010-11-48.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—सोहागपुर
(ग) ग्राम—लालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.497 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
131	0.145
132	0.324
135/1	0.081
136/1	0.048
221/2943/1	0.146
136/2	0.048
145	0.303
147	0.020
149	0.024
197	0.461
222	0.153
218/2	0.101
219	0.417
220	0.064
226	0.162
कुल योग . .	<u>2.497</u>

- (2) जिसके लिये आवश्यकता है—मेसर्स एस.जे.के. पावरजेन लि. के पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 2 जनवरी 2012

प्र. क्र. 03-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम—घुटवानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—47.625 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

230/2	1.007
326	0.316
327	4.517
329/2	0.049
330	0.253
331	0.206
329/1/1	0.023
329/1/2	2.000
332, 333, 334, 354, 332/1/1/1	0.040
332, 333, 334, 354, 332/1/1/2	1.416
332, 333, 334, 354, 332/1/2/1	0.981
332, 333, 334, 354, 332/1/2/2	0.936
280, 281/1/1	2.554
271/1	0.081
271/2	2.012
273/1	0.890
274	0.607
275/1	3.473
277	1.303
286	0.138
289	0.229

(1)

(2)

275/2	0.809
276/1	2.862
278/1	0.336
278/2	2.023
276/2	3.197
280/2/1	1.989
280/2/2	1.989
280, 281/1/2	2.055
283/1	0.500
287	1.659
288/1	1.348
288/2	1.348
288/3	1.352
288/4	2.485
318/1	0.642

योग . . . 47.625

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अपर घोघरा शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम—पिपलानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—88.859 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

29, 31/1	0.947
29, 31/2	1.700

(1)	(2)	(1)	(2)
30, 49/1	0.866	78/2/3	1.215
30, 49/2	0.866	78/2/4	0.564
30, 49/3	0.351	81	0.125
33/1	2.013	85	0.352
52/2	0.356	86/1	0.956
48	0.210	86/2	0.955
42	0.283	86/3	0.955
43	3.173	86/4	0.955
44	1.189	86/5	0.955
50	1.206	87/1	1.657
52/1	2.023	87/2	0.809
59/5	0.457	99	0.607
65/3	0.150	86/6	0.586
53/1	2.934	106/1	1.125
77/2	2.051	106/2	1.028
53/2	2.959	107	0.798
56	0.574	111/1	0.602
57	0.987	112/1	0.470
130	0.364	111/2	0.829
59/1	0.607	112/2	0.243
59/2	0.607	111/3	1.072
59/3	0.567	111/4	1.072
65/1	0.040	115/1	0.809
59/4	0.502	115/2	0.728
65/2	0.105	116/1	0.081
60/1	0.405	115/3	0.506
61/1	0.886	116/2	0.303
62/2	0.732	116/3	0.809
60/2	1.804	116/4	0.809
547/11	0.316	116/5	0.405
61/2	0.405	117/1/1	0.818
65/4	0.098	117/1/2	0.818
66/1	0.509	117/1/3	0.818
66/2	0.607	117/1/4	0.818
66/3	0.081	117/1/5	0.818
478/70	3.990	117/1/6	0.263
73	3.565	118	0.615
74	0.069	119/1	1.005
75	0.028	117/2/2	0.202
77/1	5.367	119/3	0.024
82	0.255	119/2	1.000
78/1	4.290	117/2/1	0.620
78/2/1	1.215	90/2	0.607
78/2/2	1.215	91/2	0.769

(1)	(2)	(1)	(2)
91/3	0.008	240/1	0.104
92/1/1	0.004	257/2	0.040
92/1/2	0.323	योग . .	<u>1.379</u>
92/1/3	0.311		
92/2	0.176	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घोघरा संयुक्त परियोजना मुख्य नहर भाग के निर्माण हेतु.	
95/1	0.008	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.	
93/1	0.161		
92/3	0.703		
93/2	0.275		
93/3	0.202		
94/2	1.113		
95/2	0.060		
129/1	0.016		
	योग . .		
	<u>88.859</u>		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 3 जनवरी 2012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अपर घोघरा शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरूल्लागंज
(ग) ग्राम—घुटवानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.379 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
243/1/2	0.257
243/2/1	0.247
241/1	0.731

क्र. 54-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (जूनापानी तालाब की नहर में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—राजगढ़
(ग) ग्राम—जूनापानी एवं जूनापानी का खेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.018 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

ग्राम—जूनापानी, क्षेत्रफल 2.556 हेक्टेयर

278/9/1	0.030
278/11/1	0.081
256	0.114
257	0.108

(1)	(2)	धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
264	0.084	अनुसूची	
258	0.060	(1) भूमि का वर्णन—	
259/1	0.225	(क) जिला—राजगढ़	
160	0.069	(ख) तहसील—राजगढ़	
161	0.080	(ग) ग्राम—टाण्डीखुर्द	
200	0.138	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.663 हेक्टेयर.	
199/1	0.048	सर्वे नं.	रकबा
197	0.136		(हेक्टर में)
198	0.075	(1)	(2)
276	0.060	ग्राम-टाण्डीखुर्द, क्षेत्रफल 2.663 हेक्टेयर	
175	0.120	277	0.125
182	0.305	279	0.144
157/291	0.081	284/2	0.106
152	0.174	267	0.130
157/1	0.066	262/2	0.036
156	0.096	284/1	0.048
141	0.138	260/2	0.024
154	0.076	256	0.048
142	0.114	257	0.036
140/3	0.078	258	0.072
योग . .	<u>2.556</u>	320	0.144
ग्राम-जूनापानी का खेड़ा, क्षेत्रफल 0.462 हेक्टेयर		326/2	0.096
81	0.147	328/2	0.048
83	0.315	328/1	0.216
योग . .	<u>0.462</u>	393/1	0.072
महायोग . .	<u>3.018</u>	388	0.082
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जूनापानी तालाब की नहर में प्रभावित भूमि हेतु.		394	0.048
		392	0.048
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.		386	0.096
		384/3	0.028
		380/3	0.048
		380/1	0.048
		380/2	0.048
		380/4	0.048
		375/2	0.144
		374	0.072
		371	0.048

क्र. 57-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (टाण्डी तालाब की नहर में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

(1)	(2)	(ग) ग्राम—पिडरिया	
		(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.749 हेक्टेयर.	
70	0.108	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
69	0.084	(1)	(2)
77	0.048	830/4	0.080
78/7	0.029	830/1	0.515
78/6	0.034	757/2 क	0.101
78/5	0.029	758	0.024
78/4	0.024	790/1	0.218
78/3	0.024	811/2	0.842
78/2	0.024	812	0.162
78/1	0.024	810/2	0.012
97	0.060	809/1	0.117
102/2	0.072	785/1	0.234
योग	2.663	808/1क	0.028
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टाण्डी तालाब की नहर में प्रभावित भूमि हेतु.		807/2ख/2	0.069
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.		808/1ग	0.028
		808/1घ	0.020
		791	0.077
		790/2	0.174
		410/1	0.064
		789	0.194
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		788	0.044
		499	0.097
		500	0.032
		786	0.149
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		787/2	0.190
		481/2	0.113
		787/1	0.194
		784	0.174
रीवा, दिनांक 3 जनवरी 2012		737/2ख	0.097
		755	0.008
क्र. 1-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		808/1ड	0.020
		808/1च	0.020
		806/1	0.222
		807/2ख/1	0.089
		410/2	0.064
		411	0.004
		482	0.020
		483	0.012
(1) भूमि का वर्णन—		484	0.016
(क) जिला—रीवा		795	0.125
(ख) तहसील—हनुमना		802	0.069
		488	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
801/2	0.032	226	0.008
799/2	0.065	263/1क	0.024
800/2	0.028	263/1ख	0.024
798	0.081	263/3	0.088
756	0.016	274/2क	0.380
754/1ख	0.004	263/2क	0.032
380	0.004	274/1ख/2	0.563
754/2	0.121	275	0.226
753/1	0.004	276	0.138
753/2	0.449	286	0.060
495/2	0.449	288	0.270
403	0.016		योग . . 2.059
404/1	0.141		
404/2	0.121		
409/3	0.121		
497/4	0.202		
830/2	0.101		
	योग . . 6.749		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
पीताम्बरगढ़ जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
पीताम्बरगढ़ जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 4 जनवरी 2012

क्र. 5-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—पीताम्बरगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.059 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
223	0.214
225	0.032

क्र. 20-वाचक-प्र.क्र. 07-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—अजन्दीकोट (पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.320 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
282	0.230

(1)	(2)
279/1/3, 283/1	0.175
332/1	0.125
332/2	0.125
146	0.020
63	0.200
62/3	0.240
92	0.200
87/2, 88/1	0.550
86/2, 87/1	0.350
86/1/2	0.360
12	0.180
86/1/1/1/2	0.100
59/1, 59/4/2	0.460
142	0.180
9/1/1/1	0.285
8/1/2	0.160
8/2	0.180
8/1	0.530
14	0.040
15	0.180
13/3	0.300
13/2	0.150
योग . . .	<u>5.320</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—औँकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 145000 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 16 की आर.डी. 0 से 6830 मी. तथा उसकी माईनरों एवं 145675 मी. से निकलने वाली डी.एम. 73 की आर.डी. 0 से 7070 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 7 जनवरी 2012

क्र. एफ. 1015-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—रामपुर चौरासी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.457 हेक्टर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
381/1	0.121
398	0.093
377/1	0.202
378/1	0.272
379/1	0.121
403/1490/2	0.324
403/1490/1	0.324
निजी खाता भूमि योग . . .	<u>1.457</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—रेवती सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1015-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—शाहा		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—26.574 हेक्टर.			
खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	213/3क	0.021
(1)	(2)	213/3ख	0.020
		213/3ग	0.020
		213/3घ	0.020
79/1	0.242	219/1	0.073
79/2/2	0.081	219/2	0.076
80	0.478	219/3	0.041
81	0.405	220/1	0.057
88	0.607	220/2	0.057
98/1क	0.240	220/3	0.038
98/1ख	0.406	220/4	0.078
101	0.660	221/1/2/1	0.401
103/1	0.680	221/1/2/2	0.400
103/2	0.676	221/2	0.805
104	0.364	222/1	0.785
107/1	0.194	222/2	0.785
118/1	0.361	226/1/1	0.939
118/2	0.180	226/1/2	0.680
118/3	0.180	226/2	0.659
119/1क	0.093	227/1क/क/1	0.348
119/1ख	0.089	227/1क/क/2	0.346
119/2	0.089	227/1क/1	0.811
149/1	0.528	227/1क/2	0.323
151/1	0.894	227/1ख	0.692
203	0.405	227/2	0.034
204	0.810	228/1	0.142
205	0.615	228/2	0.141
206	0.080	229/1	0.149
207	1.680	229/2	0.150
210	0.818	230/2	0.283
214	0.231	210/446/1क	0.964
218	0.089	210/446/1ख	0.963
211/2	0.287	210/446/2/2	0.109
211/3क	0.068	210/446/2/3क	0.021
211/3ख	0.073	210/446/2/3ख	0.028
211/3ग	0.073	210/446/2/3ग	0.028
211/3घ	0.073	210/446/2/3घ	0.028
212/1/क	0.356	निजी खाता भूमि योग . .	26.574
212/1/ख	0.356	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—रेवती	
212/2	0.716	सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु.	
212/3/क	0.170	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर	
212/3/ख	0.182	(भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा	
212/3ग	0.182	सकता है.	
212/3घ	0.182		
213/1क	0.041		
213/1ख	0.040	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
213/2	0.085	सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

- (17) अधिसूचना क्रमांक 4935-प्रस्तु/भू-अर्जन-2011 छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जून, 2011, जो कि राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई, 2011 में प्रकाशित की गयी है, यह घोषणा की गयी थी कि ग्राम जम्होड़ी पंडा, पटवारी हल्का नम्बर 31, ब. नं. 186, राजस्व निरीक्षक मण्डल, छिन्दवाड़ा-1, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की निजी भूमि कुल रकबा 275.049 हेक्टेयर, जिनका विस्तृत विवरण उक्त अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है, की पेंच व्यपवर्तित परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है;
- (18) अधिसूचना क्रमांक 4936-प्रस्तु/भू-अर्जन-2011 छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जून, 2011, जो कि राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई, 2011 में प्रकाशित की गयी है, यह घोषणा की गयी थी कि ग्राम धनौरा, पटवारी हल्का नम्बर 08, ब. नं. 135, राजस्व निरीक्षक मण्डल, चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा की निजी भूमि कुल रकबा 308.687 हेक्टेयर, जिनका विस्तृत विवरण उक्त अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है, की पेंच व्यपवर्तित परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है;
- (19) अधिसूचना क्रमांक 4937-प्रस्तु/भू-अर्जन-2011 छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जून, 2011, जो कि राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई, 2011 में प्रकाशित की गयी है, यह घोषणा की गयी थी कि ग्राम केवलारी संभा, पटवारी हल्का नम्बर 2/4, ब. नं. 32, राजस्व निरीक्षक मण्डल, चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा की निजी भूमि कुल रकबा 256.609 हेक्टेयर, जिनका विस्तृत विवरण उक्त अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है, की पेंच व्यपवर्तित परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है;
- (20) अधिसूचना क्रमांक 4938-प्रस्तु/भू-अर्जन-2011 छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जून, 2011, जो कि राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई, 2011 में प्रकाशित की गयी है, यह घोषणा की गयी थी कि ग्राम काराघाट, पटवारी हल्का नम्बर 29, ब. नं. 55, राजस्व निरीक्षक मण्डल, छिन्दवाड़ा-1, तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की निजी भूमि कुल रकबा 317.799 हेक्टेयर, जिनका विस्तृत विवरण उक्त अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है, की पेंच व्यपवर्तित परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

2. और, यतः, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि उपरोक्त पद 1 में उल्लिखित प्रकाशित अधिसूचनाओं में दिए गये विवरण अनुसार उक्त भूमियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं होने से धारा 17 के तहत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है.

3. और, यतः, भूमिस्वामी को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, और ना ही उक्त भूमि का कब्जा लिया गया है.

4. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 48 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उपरिवर्णित भूमि के अधिग्रहण करने की कार्यवाही से स्वयं को प्रत्याहृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. एफ. 12-11-2008-सात-2ए.—यतः, राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्र. 14-अ-82-99-2000-भू.अ.अ.-बरगी, दिनांक 31 मार्च 2003 के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि ग्राम घुन्सौर, प. ह. नं. 36, नं. बं. 150 एवं ग्राम जोधपुर, प. ह. नं. 37, नं. बं. 182 तहसील व जिला जबलपुर की निजी भूमि रकबा क्रमशः 4.83 हे. एवं 2.10 हे. इस प्रकार कुल रकबा 6.93 हेक्टेयर पिडरई घुन्सौर अतिरिक्त सब-माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. (खसरा, रकबा विवरण सूची संलग्न है).

2. और, यतः, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि उपरोक्त भूमि में से रकबा 4.83 हे. एवं 2.10 कुल अर्जित रकबा 6.93 हेक्टेयर भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है.

3. और, यतः, उक्त भूमि का कब्जा भी नहीं लिया गया है, और ना ही भूमिस्वामी भू-अर्जन की कर्जावाही के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हर्जाने की मांग करेंगे और संबंधित भूमिस्वामी मुआवजा प्राप्त करने के लिये अधिकारी नहीं होंगे.

4. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 48 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उपरिवर्णित रकबा क्रमशः 4.83 हे. एवं 2.10 हे. इस प्रकार कुल 6.93 हेक्टेयर के अधिग्रहण करने की कार्यवाही से अपने से प्रत्याहृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)
	242	0.04
जबलपुर, दिनांक 26 जून 2003	134	0.13
क्र. 14-अ-82-99-2000-भू.अ.अ.-बरगी हिल्स.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-	131 133 132 58 59	0.14 0.02 0.18 0.01 0.26
अनुसूची	57	0.18
(1) भूमि का वर्णन—	56	0.01
(क) जिला—जबलपुर	55	0.13
(ख) तहसील—जबलपुर	54	0.10
(ग) ग्राम—घुत्सौर, प. ह. नं. 36, नं. बं. 150, जोधपुर, प. ह. नं. 37, नं. बं. 182.		ग्राम—जोधपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.93 हेक्टेयर.	54	0.77
खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) 55 66	0.57 0.16
348	0.26	67 0.30
347	0.31	90 0.09
346	0.25	91 0.05
248	0.14	92 0.09
246	1.57	98 0.05
247	0.22	100 0.02
251	0.33	
240	0.55	योग . . . 6.93